[2022] 19 एस. सी. आर. 523

मिहान इंडिया लिमिटेड।

वी.

जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड। & ओआरएस।

(2022 की सिविल अपील संख्या 3699)

मई 09,2022

[वाइन सरन और जे. के. माहेश्वरी, जे. जे.]

निविदाएंः उन्नयन के लिए बोली प्रक्रिया को रद्द करना-भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार,

नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण, संचालन और रखरखाव, अपीलकर्ता कंपनी-एम. आई. एल. ने निजी पक्षों से निविदाएं आमंत्रित कीं-उत्तरदाता-जी. ए. एल. सबसे अधिक बोली लगाने वाला था-प्रस्तावित राजस्व हिस्से के बारे में बातचीत के दौरान, जी. ए. एल. ने संशोधित राजस्व हिस्से के लिए सहमति व्यक्त की-इसके बाद, एम. आई. एल. ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और जी. ए. एल. को सबसे अधिक बोली लगाने वाले के रूप में चुना-हालांकि, औपचारिकताओं के पूरा होने पर भी, रियायत समझौते को निष्पादित नहीं किया गया ताकि जी. ए. एल. परियोजना को लागू करने में सक्षम हो सके-जी. ए. एल. द्वारा एम. आई. एल. को किया गया अनुरोध लेकिन उक्त पत्र का न तो जवाब दिया गया और न ही कोई कदम उठाया गया।

रियायत समझौते को निष्पादित करने के लिए लिया गया-एम. आई. एल. ने फिर बोली प्रक्रिया को रद्द कर दिया और जी. ए. एल. को बोली वापस लेने के लिए भी सूचित किया। बोली के लिए प्रस्तुत प्रतिभूति और उसके बाद, जी. ए. एल. और जी. एन. ए. आई. एल. द्वारा चुनौती दी गई बोली को फिर से प्रस्तुत करना-उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया और

- बोली को मनमाना, अनुचित और अनुचित बताते हुए रद्द करने में एम. आई. एल. की कार्रवाई को दरकिनार करते हुए-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः एक चयनित बोलीदाता के रूप में जी. ए. एल. का समर्थन करने वाला दिनांकित 07.03.2019 का पत्र पत्र के बराबर होगा।

स्वीकृति-प्रस्ताव के लिए अनुरोध-आर. एफ. पी. के संदर्भ में एल. ओ. ए. और, इसे एक संपन्न अनुबंध के रूप में माना जाएगा-जी. ए. एल. ने योग्यता प्राप्त कर ली है

उत्तरदायित्व की परीक्षा और उच्चतम राजस्व की पेशकश करने पर, इसे चयनित बोलीदाता घोषित किया गया-एल. ओ. ए. को स्वीकार किया गया है और डुप्लिकेट कॉपी पर हस्ताक्षर किए गए हैं और निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राधिकरण को वापस कर दिया गया है-जी. ए. एल. को उच्चतम बोलीदाता के रूप में चुना गया है, रियायत पाने वाले का दर्जा प्राप्त किया गया है-यह केवल रियायत समझौते को निष्पादित करने की आवश्यकता थी और आर. एफ. पी. के प्रावधानों का पालन करने में जी. ए. एल. की ओर से कोई गलती नहीं थी-इस प्रकार, उच्चतम राजस्व हिस्से के प्रस्ताव के बाद, स्वीकृति पत्र जारी करने पर और जैसा कि आचरण द्वारा भी परिलक्षित होता है, यह एक निष्कर्षित अनुबंध बन गया है बाध्यकारी प्रक्रिया को रद्द करने

के लिए पत्र मनमाना है और प्रक्रिया का पालन करके आर. एफ. क्यू./आर. एफ. पी. की शर्तों के अनुरूप नहीं है।

केवल बोलियों को अस्वीकार करने की शक्ति होने से अधिकारियों को उक्त शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग करने का अधिकार नहीं है-उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए सार्वजनिक कानून उपचार का उचित लाभ उठाया गया है।

यू/आर्ट। 226 – यह नहीं कहा जा सकता है कि जी. ए. एल. को केवल विशिष्ट प्रदर्शन के लिए पूछने का सीमित अधिकार है इसके अलावा, यू. ओ. एल. और ए. ए. आई. को नहीं था।

आवश्यक पक्षकारों और उनके साथ शामिल हुए बिना, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राहत में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है-आवश्यक पक्षकार

– सार्वजनिक विधि उपचार-भारत का संविधान-कला। 14 , 226 –भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994-धारा 12 क।

सरकारी अनुबंध-कानून के सिद्धांत-का स्पष्टीकरण-आयोजितः सरकारी अनुबंधों में, यदि सरकारी निकायों द्वारा दिया जाता है, तो यह है

अनुबंधित मामलों से निपटने के दौरान निष्पक्षता, समानता और कानून के शासन को बनाए रखने की अपेक्षा-समानता का अधिकार यू/आर्ट। 14 घृणित मनमानी-न्यायालय द्वारा पारदर्शी बोली प्रक्रिया का समर्थन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संवैधानिक आवश्यकताएं पूरी हों-राज्य को निष्पक्ष और उचित तरीके से कार्य करना चाहिए जब तक कि जनहित की मांग न हो।

अन्यथा-यह समीचीन है कि किसी भी निजी वैध हित के समझौते की मात्रा सार्वजनिक हित के अनुपात के अनुरूप होनी चाहिए-सार्वजनिक हित या खजाने को नुकसान के आधार का उपयोग प्राधिकरण द्वारा पहले से किए गए काम को पूर्ववत नहीं कर सकता है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 07.03.2019 दिनांकित पत्र एक पत्र है

स्वीकृति-उच्चतम बोलीदाता के रूप में जी. ए. एल. का चयन करने के बाद एल. ओ. ए. और

इसने रियायत पाने वाले का दर्जा प्राप्त कर लिया। यह केवल रियायत समझौते को निष्पादित करने की आवश्यकता थी और वहाँ था

प्रावधानों का पालन करने में जी. ए. एल. की ओर से कोई गलती नहीं

प्रस्ताव के लिए अनुरोध-आर. एफ. पी. अपीलार्थी एम. आई. एल. का आचरण भी

रियायत प्राप्तकर्ता (जी. ए. एल.) द्वारा। इस प्रकार, उच्चतम राजस्व के प्रस्ताव के बाद स्वीकृति पत्र जारी करने पर हिस्सेदारी और जैसा कि आचरण द्वारा परिलक्षित होता है, यह एक निष्कर्षित अनुबंध बन

गया है। एल. ओ. ए. के बाद जब काफी समय से रियायत समझौते के निष्पादन के लिए कदम नहीं उठाए गए थे, तो जी. ए. एल. द्वारा एक अनुरोध किया गया था

25.02.2020 26 रियायत समझौते के निष्पादन के लिए

रियायत पाने वाले, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। [पैरा 24 और 25] [541-ए सी] मिहान इंडिया लिमिटेड।

वी. जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड। & ओआरएस।

1.2 आर. एफ. पी. के अनुसार, यह स्पष्ट है कि एम. आई. एल. ने नागपुर हवाई अड्डे के उन्नयन, आधुनिकीकरण, संचालन और रखरखाव के लिए एक निविदा जारी की थी। जाहिरा तौर पर, आई. डी. 2 पर आयोजित बैठक में उठाई गई आपत्ति और आई. डी. 1 की तारीख वाली पी. एम. आई. सी. की बैठक से जो प्राथमिक धारणा जुटाई जा सकती है, वह संभावित राजस्व लाभ का संकेत देती है, लेकिन यह निवेश में वृद्धि का संकेत नहीं देती है।

नागपुर हवाई अड्डे का उन्नयन और आधुनिकीकरण जिसके लिए

न केवल यात्रियों के लिए बल्कि मिहान के नाम पर माल परिवहन के लिए भी एक विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की योजना और डिजाइन की आवश्यकता है। आर. एफ. पी. और रियायत समझौते के अनुसार, डिजाइन, उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए सभी निवेश निजी खिलाड़ी द्वारा किया जाना चाहिए, न कि एम. आई. एल. द्वारा। ए. ए. आई. के नोट पर एम. ओ. सी. ए. और जी. ओ. एम. के आंतरिक पत्राचार द्वारा एल. ओ. ए. जारी करने के बाद, ई. एंड वाई. की रिपोर्ट पर निर्भर वित्तीय व्यवहार्यता पर विचार किया गया है। अगर वहाँ

यदि वित्तीय व्यवहार्यता के संबंध में कोई मुद्दा था, तो यह जी. ओ. एम., ए. ए. आई. या एम. ओ. सी. ए. का कर्तव्य था कि वह जी. ए. एल. को बुलाए, जिसे अधिकार अर्जित हो गया है और औचित्य के लिए एम. आई. एल. द्वारा प्रस्तावित और सहमत राजस्व हिस्से का भुगतान करना पड़ता है। अन्यथा, जी. ए. एल. के पीछे उक्त आधार पर निर्णय लेना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ भी था। [पैरा 38] [553-ई-एच]

1.3 यह स्पष्ट है कि धारा 12 ए प्राधिकरण द्वारा पट्टे के मामले में लागू होती है और उप-धारा (1) के तहत ऐसा कोई पट्टा केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं दिया जाएगा। में।

और यह अधिकारियों द्वारा शक्ति का मनमाना प्रयोग है जो कानून के तहत अनुमेय नहीं है। केवल शक्ति का होना बोलियों की अस्वीकृति अधिकारियों को उक्त शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग करने का अधिकार नहीं देती है। खंड [2022] 19 एस. सी. आर. की प्रयोज्यता पर चर्चा करते हुए।

2.16. 1 , 3.3. 1 और 3. 5 , यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृति से पहले बोली प्रक्रिया में बोली प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है।

अन्यथा एल. ओ. ए. जारी होने के बाद रद्द नहीं किया जा सकता है। अधिकारियों ने आगे जीओएम पर भरोसा करते हुए मनमाने ढंग से काम किया

पी. एम. आई. सी. की बैठक दिनांक 14.10.2019 के संदर्भ में दिनांक 16.03.2020 का पत्र जिसमें पुनः निविदा का निर्देश दिया गया था। पहले से स्वीकृत बोली को नजरअंदाज किए बिना पुनः निविदा संभव नहीं थी। अतः खंड 2.16 को लागू करते हुए रद्द करने के आदेश का निर्देश दिया गया है। 1 मनमाने ढंग से। वर्तमान मामले में बोलीदाता का चयन पूरा हो गया था। इसके बाद खंड 3 के अनुसार एल. ओ. ए. जारी किया गया। 5 और रियायत समझौते का मसौदा जारी करके, इसे रियायत प्राप्तकर्ता घोषित किया गया है। उस स्तर पर, खंड 2.16। 1 बोली प्रक्रिया को रद्द करने के लिए लागू नहीं होगा। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 30.08.2019 की बैठक में उठाई गई आपत्तियों के अनुसार

एम. ओ. सी. ए. द्वारा, अनुच्छेद 5 में खंड (iv) ने एम. आई. एल. को राजी किया और

मनमानेपन को नापसंद करता है। न्यायालय द्वारा पारदर्शी बोली प्रक्रिया का समर्थन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संवैधानिक आवश्यकताएँ संतुष्ट। यह कहा जाता है कि प्रदान की गई संवैधानिक गारंटी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत राज्य से सार्वजनिक हित के बिना निष्पक्ष और उचित तरीके से कार्य करने की मांग की गई है।

अन्यथा माँग करता है। यह समीचीन है कि किसी भी निजी वैध हित के समझौते की मात्रा सार्वजनिक हित के अनुपात के अनुरूप होनी चाहिए। यह निर्दिष्ट किया गया है कि सार्वजनिक हित या खजाने को नुकसान के आधार का उपयोग करके प्राधिकरण द्वारा पहले से किए गए काम को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। [पैरा 46] [560-एफ-एच; 561-ए]

1.5 खंड 3 के संदर्भ में एल. ओ. ए. जारी करने के बाद। 5 आर. एफ. पी. और जी. ए. एल. को खंड 3.3 के अनुसार रियायत प्राप्तकर्ता घोषित करना। 6 , आई. डी. 1 पर पी. एम. आई. सी. की बैठक के आधार पर बोली प्रक्रिया को रद्द करने का पत्र जारी करना, जिसमें बोली की पुनः निविदा का निर्देश दिया गया था, पूरी तरह से शक्ति का एक मनमाना प्रयोग है, जो कि मिहान इंडिया लिमिटेड के विपरीत है।

वी. जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड। & ओआरएस।

आर. एफ. पी. के प्रावधान और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन। [पैरा 47] [561-बी] 1.6 उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में दर्ज किए गए निष्कर्ष उपरोक्त तर्कों के अनुरूप हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय ठोस तर्कों और तथ्यों के सही विश्लेषण पर आधारित है, जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है। [पैरा 48] [561-सी-डी]

1.7 अधिकारियों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से काम किया है। ऐसी स्थिति में, सार्वजनिक कानून उपचार का उचित लाभ उठाया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता। याचिका पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष न्यायसंगत और उचित हैं और उन निष्कर्षों को स्वीकार किया जाता है। तत्काल मामले के तथ्यों में, अपीलकर्ताओं द्वारा जी. ए. एल. को विशिष्ट उपाय करने के लिए मजबूर करने के लिए दिया गया तर्क

विशिष्ट राहत अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदर्शन को इसके द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। [पैरा 49] [561-डी-एफ]

1.8 मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में,

दूसरे संयुक्त उद्यम का चयन प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मामले में, वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की गईं और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का पालन किया गया। एल. ओ. ए. जारी करने की प्रक्रिया

आर. एफ. पी. में निर्धारित पूरी तरह से एक उचित प्रक्रिया है। एम. ओ. सी. ए., ए. ए. आई. और एम. ए. डी. सी. द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, एम. आई. एल. बोली प्रक्रिया को पूरा करने का अधिकार है और पी. एम. आई. सी. की ओर से कार्य करता है। जीओएम पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा था। बोली को फिर से प्रस्तुत करने के लिए दिनांकित 16.3.2020 पत्र के संदर्भ में रद्द करने का निर्देश दिया गया है। इसलिए, रद्द पत्र जारी करने में, यू. ओ. आई. और ए. ए. आई. की कोई भूमिका नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा खंड (ख) में प्रार्थना के अनुसार राहत देने के संबंध में गंभीर आपत्ति जताई गई है। इस संबंध में, अदालत ने उक्त राहत और निर्देश की जांच की, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 11.2.2009 के कैबिनेट निर्णय के संदर्भ में जारी किया गया है, न्यायालय संतुष्ट है कि प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा दूसरे संयुक्त उद्यम का चयन करने का निर्देश जारी करने के बाद विश्वविद्यालय और एएआई प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हैं। मंत्रिमंडल की दिनांक 11.02.2009 की पहली मंजूरी, दिनांक 02.08.2019,20.08.2019 और 30.08.2019 के पत्रों को प्रस्तुत करने के अलावा, कुछ भी नया नहीं है [2022] 19 एस. सी. आर.

यह दिखाने के लिए कि रिट कोर्ट द्वारा गैर-जॉइंडर के कारण उनके प्रति क्या गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया गया है, हमारे सामने लाया गया। अपीलार्थियों द्वारा गैर-याचिकाकर्ता के संबंध में उठाई गई आपत्ति किसी भी योग्यता से रहित है और उच्च न्यायालय ने इसे सही ढंग से खारिज कर दिया है। रिट याचिका की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कानून के अनुसार हैं। वे निष्कर्ष किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं हैं, जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गारंटी देते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति। [पैरा 51 और 52] [561-जी-एच; 562-ए-डी]

भारत संघ और अन्य बनाम। दिनेश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन।

और एक अन्य (2001) 8 एस. सी. सी. 491; उपाध्यक्ष और

प्रबंध निदेशक, शहर और औद्योगिक विकास

महाराष्ट्र निगम लिमिटेड और एक अन्य बनाम। शिशिर

रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। सिविल अपील सं. 3956 57 2017-पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

(2001) 8 एससीसी 491

उस पर भरोसा करें

पै

रा 42

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3699

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 18.08.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 की रिट याचिका संख्या 1723 में बॉम्बे, नागपुर पीठ, नागपुर में न्यायिक कार्य।

के साथ सिविल

अपील सं। 3701 , 3702 और 2022 का 3700

के. एम. नटराज, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., दुष्यंत दवे,

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , राहुल भांगडे, सत्यजीत ए. देसाई, सिद्धार्थ गौतम, हिमांशु शर्मा, सुश्री नेहा सांगवान, सत्य काम शर्मा, श्रीमती अनघा एस. देसाई, निखिलेश रामचंद्रन, विनायक शर्मा, शुभम सेठ, सुश्री मृणाल चौधरी, विभु शंकर मिश्रा, शैलेश मडियाल, रजत नायर, सुश्री बी. एल. एन. शिवानी, नितिन

पावुलुरी, सुश्री कीर्ति खंगारोट, सुश्री मनीषा चावा, शिविका मेहरा, रुस्तम सिंह चौहान, राज बहादुर यादव, अमरीश कुमार, सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, सुश्री श्वेतल शेपाल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, मनिंदर सिंह, पराग पी. त्रिपाठी,

सीनियर एड. , महेश अग्रवाल, मिलंका चौधरी, एम. एस. अनंत, मिहान इंडिया लिमिटेड।

वी. जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड। & ओआरएस।

सुश्री नैना दुबे, निशांत राव, सुश्री हर्षिता अग्रवाल, सुश्री श्वेत शिखा, श्रीनिवासन, अमित भंडारी, ई. सी. अग्रवाल, प्रणव सहगल, प्रभास बजाज, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया थाः

न्याय

छुट्टी दे दी गई।

2. ये चार अपीलें बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के दिनांकित 18.08.2021 फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं।

जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 1-जी. एम. आर. एयरपोर्ट्स लिमिटेड (संक्षिप्त में 'जी. ए. एल.') और जी. एम. आर. नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (संक्षिप्त में 'जी. एन. आई. ए. एल.') की लिखित याचिका को मिहान इंडिया लिमिटेड (संक्षिप्त में 'एम. आई. एल.') और महाराष्ट्र सरकार (संक्षिप्त में 'जी. ओ. एम.') के खिलाफ दायर करने की अनुमति दी गई है। उच्च न्यायालय ने बोली प्रक्रिया को रद्द करने के विवादित संचार को दरकिनार कर दिया और रिट याचिका के प्रार्थना खंड (बी) के अनुसार आगे आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

3. 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) No.15556 से उत्पन्न अपील एम. आई. एल. द्वारा दायर की गई है (जो प्रतिवादी नं. 1 इससे पहले

उच्च न्यायालय) और 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) No.16737 से उत्पन्न अपील जीओएम (जो उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 थी) द्वारा दायर की गई है। 2021 की डायरी No.23479 और 2021 की डायरी No.23477 से उत्पन्न होने वाली अन्य दो अपीलें क्रमशः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संक्षिप्त 'AAI' के लिए) और भारतीय संघ (संक्षिप्त 'UoI' के लिए) द्वारा दायर की गई हैं, जो उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थीं और इसलिए विशेष अनुमति याचिकाएं दायर करने की अनुमति के लिए आवेदन दायर किए गए हैं, जो दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं में दी गई हैं।

4. चूंकि, सभी अपीलों में चुनौती के तहत आदेश समान है और उक्त अपीलों में तथ्य सामान्य हैं, हालांकि विशेष अनुमति

2021 की याचिका संख्या 15556 जिसका शीर्षक है मिहान इंडिया लिमिटेड बनाम जी. एम. आर. एयरपोर्ट्स लिमिटेड और अन्य। मुख्य याचिका के रूप में माना जा रहा है।

5. संक्षेप में, अपीलों के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (संक्षेप में 'नागपुर हवाई अड्डा') था ए. ए. आई. द्वारा चलाया जा रहा है। नागपुर में एक बहु-मॉडल अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो हब हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए मंत्री समूह की पहल पर, भारत सरकार (संक्षेप में 'भारत सरकार'), नागरिक उड्डयन मंत्रालय (संक्षेप में 'एमओसीए'), एएआई और [2022] 19 एस. सी. आर. के साथ समन्वय में 'मिहान' के रूप में संदर्भित संक्षिप्तता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय वायु सेना ने रक्षा मंत्रालय के माध्यम से रिपोर्ट तैयार की है

मिहान परियोजना के लिए। 18.12.2006 पर, एक तरफ एमओसीए और एएआई के माध्यम से गोल; और जीओएम और महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कंपनी

(दूसरी ओर, एक संयुक्त उद्यम कंपनी (संक्षिप्त में 'जेवीसी') की स्थापना और हवाई अड्डे को उक्त जेवीसी को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (संक्षिप्त में 'एमओयू') पर हस्ताक्षर किए गए ताकि इसे मिहान में विकसित किया जा सके। उक्त समझौता ज्ञापन के अनुसार, एम. ए. डी. सी. के पास जे. वी. सी. की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी और ए. ए. आई. के पास 49 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। समझौता ज्ञापन के अनुसार, एएआई और एमएडीसी ने एक जेवीसी को शामिल करने के उद्देश्य से 22.02.2009 पर एक संयुक्त उद्यम समझौता (संक्षेप में 'जेवीए') किया।

हवाई अड्डा (जिसे बाद में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया गया) एम. आई. एल. द्वारा डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डी. बी. एफ. ओ. टी.) आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (संक्षिप्त में 'पी. पी. पी.') के माध्यम से निजी डेवलपर्स के चयन के लिए योग्यता के अनुरोध (संक्षिप्त 'आर. एफ. क्यू.' के लिए) के अनुसार निजी पक्षों से बोलियां आमंत्रित करके वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की जानी थीं। 11.12.2017 पर, जीओएम ने एक उच्च पद का गठन किया

अधिकार प्राप्त परियोजना निगरानी और कार्यान्वयन समिति (संक्षेप में 'पीएमआईसी') जिसमें ग्यारह सदस्य शामिल होंगे, जो मंत्री समूह, जी. ओ. एल., एम. ए. डी. सी. और ए. ए. आई. के अधिकारी होंगे और मंत्री समूह के मुख्य सचिव इसके सदस्य होंगे। अध्यक्ष जीओएम की ओर से मिहान परियोजना की देखभाल करेंगे। प्रस्ताव के लिए अनुरोध (संक्षेप में 'आर. एफ. पी.') एम. आई. एल. द्वारा तैयार किया गया था और पी. एम. आई. सी. द्वारा 24.01.2018 पर आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया था। जवाब में, छह बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन उनमें से केवल पांच को अगले चरण यानी आर. एफ. पी. जारी करने के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसे 01.03.2018 दिनांकित ईमेल के माध्यम से भेजा गया था। बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि यानी 28.09.2018 पर, एम. आई. एल. को केवल दो बोलियां प्राप्त हुई थीं, जिनमें से जी. ए. एल. द्वारा 5.76% के राजस्व हिस्से का प्रस्ताव करने वाली बोली सबसे अधिक पाई गई थी। इसके बाद, एम. आई. एल. ने जी. ए. एल. से प्रस्तावित राजस्व हिस्से के संबंध में पी. एम. आई. सी. के समक्ष 05.03.2019 पर चर्चा और बातचीत करने के लिए कहा। चर्चा के दौरान, जी. ए. एल. ने 14.49% के संशोधित राजस्व हिस्से के लिए सहमति व्यक्त की। उक्त संशोधित राजस्व हिस्सेदारी जी. ए. एल. द्वारा दिनांकित पत्र के माध्यम से सूचित की गई थी।

06.03.2019 इसे चयनित बोलीदाता घोषित करने और पुरस्कार पत्र (संक्षिप्त में "एल. ओ. ए".) जारी करने के अनुरोध के साथ।

मिहान इंडिया लिमिटेड। वी. जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड। & ओआरएस।

7. इसके बाद एम. आई. एल. ने स्वीकार करते हुए 07.03.2019 दिनांकित पत्र जारी किया।

दिनांकित 07.03.2019 पत्र की विधिवत हस्ताक्षरित डुप्लिकेट प्रति के माध्यम से। 8. उक्त औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद भी, रियायत समझौते को लंबे समय तक लागू नहीं किया गया था, हालांकि 25.02.2020 पर, GAL द्वारा रियायत के निष्पादन के लिए MIL से अनुरोध किया गया था

समझौता ताकि जी. ए. एल. मिहान परियोजना को लागू करने में सक्षम हो सके। उक्त पत्र का न तो जवाब दिया गया और न ही जी. ए. एल. और जी. एन. आई. ए. एल. (मिहान परियोजना को लागू करने के लिए निगमित एस. पी. वी. होने के नाते) के पक्ष में रियायत समझौते को लागू करने के लिए कोई कदम उठाया गया। इस प्रकार, जी. ए. एल. और जी. एन. आई. ए. एल. दोनों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष 2020 की रिट याचिका संख्या 1343 दायर की, जिसमें एम. आई. एल. और जी. ओ. एम. को दिनांकित 07.03.2019 पत्र के अनुसार सभी आवश्यक और परिणामी कदम उठाने और रियायत समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्देश देने की मांग की गई। 11.03.2020 पर, उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया और मामले को सुनवाई के लिए 18.03.2020 पर सूचीबद्ध किया। जी. ए. एल. द्वारा उसी दिन एम. आई. एल. और जी. ओ. एम. को और 16.03.2020 पर अदालत के बेलिफ के माध्यम से नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस मिलने के तुरंत बाद, उसी दिन यानी 16.03.2020, जीओएम ने एम. आई. एल. को निविदा के लिए निर्देश जारी किया। इसके अनुसार, एम. आई. एल. ने दिनांक 19.03.2020 के संचार के माध्यम से बोली प्रक्रिया को रद्द कर दिया। एम. आई. एल. ने भी सूचित किया

जी. ए. एल. बोली के लिए जमा की गई प्रतिभूति को वापस लेगा। इसके बाद, 04.05.2020 दिनांकित ईमेल के माध्यम से MIL ने GAL को सूचित किया कि चूंकि बोली प्रतिभूति के लिए बैंक गारंटी 30.04.2020 पर समाप्त हो गई है और इसके कारण कोविड-19 के कारण लॉकडाउन को रद्द और पूरी तरह से छुट्टी माना जा सकता है और इसे वापस लिया जा सकता है।

9. जी. ए. एल. और जी. एन. आई. ए. एल. ने दिनांकित संचार को चुनौती दी

19.03.2020 एल. ओ. ए. जारी होने के बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष 2020 की रिट याचिका संख्या 1723 के रूप में एक और याचिका दायर करके बोली प्रक्रिया को रद्द करना। उक्त रिट याचिका में, उत्तरदाताओं ने नीचे दिए गए प्रार्थना खंड (बी) के अनुसार आगे के निर्देशों के साथ दिनांकित 19.03.2020 के रद्द करने के पत्र और दिनांकित 07.03.2019 के प्रवर्तन को रद्द करने के लिए उचित निर्देशों के लिए प्रार्थना की हैः

बी। एक रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी करें जिसमें उत्तरदाताओं को आर. एफ. पी. की शर्तों का पालन करने और आवश्यक और परिणामी कार्य करने का निर्देश दिया जाए।

इसे आगे बढ़ाने के लिए कदम और दिनांकित पुरस्कार पत्र [2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

07.03.2019 , याचिकाकर्ता संख्या 2 और अन्य सहायक दस्तावेजों के पक्ष में रियायत समझौते के निष्पादन तक सीमित नहीं;

10. जवाब दाखिल करके, एम. आई. एल. ने गठन पर विवाद नहीं किया है

5.76% के जी. ए. एल. द्वारा किए गए प्रस्ताव सहित निविदा प्रक्रिया को पूरा करना। आय का हिस्सा। यह स्वीकार किया जाता है कि पी. एम. आई. सी. के सामने बातचीत के लिए मुंबई में आई. डी. 2 पर एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें जी. ए. एल. और जी. ए. एल. द्वारा आई. डी. 3 के स्थान पर राजस्व हिस्सेदारी को आई. डी. 1% तक बढ़ाने की पेशकश की गई थी और दिनांकित संचार के माध्यम से एल. ओ. ए. जारी करने का अनुरोध किया गया था।

06.03.2019 . अपीलार्थी-एम. आई. एल. ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह रुख अपनाया कि दिनांक 1 का संचार रियायत समझौते के अनुसार जी. ए. एल. के पक्ष में ए. ए. आई. की भूमि के हस्तांतरण और एस. पी. वी. के गठन के लिए जी. ओ. एल. की मंजूरी के अधीन संशोधित बोली की स्वीकृति के संबंध में केवल एक सूचना थी। खंड 3 पर निर्भरता स्थापित करना। 5 ऐसा कहा जाता है कि एल. ओ. ए. संचार से अलग है। यह कहा जाता है कि 07.03.2019 दिनांकित पत्र को आगे बढ़ाते हुए, एएआई ने प्रक्रिया शुरू की। के प्रस्ताव पर एएआई, एमओसीए के माध्यम से जी. ओ. एल. ने दिनांकित 20.08.2019 पत्र के माध्यम से कुछ स्पष्टीकरण मांगे। एम. ओ. सी. ए. द्वारा 30.08.2019 पर आयोजित बैठक में, एम. आई. एल. और ए. ए. आई. ने पूछे गए स्पष्टीकरण को प्रस्तुत नहीं किया है और पी. एम. आई. सी. के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए समय की प्रार्थना की है। यह कहा गया था कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए नोट तैयार करने के लिए उन स्पष्टीकरणों की आवश्यकता थी, अन्यथा स्पष्टीकरण के अभाव में मंत्रिमंडल की मंजूरी संभव नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि एमओसीए के माध्यम से गोल एक आवश्यक पक्ष था जो रिट याचिका में शामिल नहीं है। आवश्यक पक्ष के गैर-सहयोगी होने के कारण, रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि जीओएम के निर्देशों के तहत बोली प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया गया था

पास हो गया। बोली प्रतिभूति की वापसी की स्वीकृति पर, जी. ए. एल. को बोली प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश को चुनौती देने से रोक दिया जाता है क्योंकि 07.03.2019 दिनांकित पत्र एक सशर्त था और जी. ओ. एल. ने कोई जानकारी नहीं दी है।

अनुमोदन, इसलिए बोली प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश पर सवाल उठाने के लिए जी. ए. एल. को कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि एम. आई. एल. ने लाभ अर्जित किया

रु. 49 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान करोड़ रुपये का सकल लाभ होने का अनुमान है। 64 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान करोड़ रुपये और जी. ए. एल. द्वारा रुपये के सकल राजस्व हिस्से की पेशकश। 15 करोड़ बहुत कम है, जो सार्वजनिक हित में नहीं हो सकता है और इससे सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान होगा। इसलिए, अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई की गई है।

11. जी. ओ. एम. ने सी. एस.-सह सी. एफ. ओ., एम. आई. एल. के एक हलफनामे पर एक अलग जवाब दाखिल किया है, न कि जी. ओ. एम. के अधिकारी के रूप में। उक्त जवाब में, यह आग्रह किया गया था कि मंत्री समूह एम. आई. एल. द्वारा दायर जवाब और रुख को स्वीकार कर रहा है

और विवाद जैसा कि उसमें लिया गया है। यह आग्रह किया गया कि मिहान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एम. आई. एल. प्रतिवादी संख्या 2 (जी. ओ. एम.) और ए. ए. आई. के संसाधनों का उपयोग कर रहा है। विषय निविदा की स्वीकृति के परिणामस्वरूप, ए. ए. आई. और एम. ए. डी. सी. से संबंधित भूमि को रियायत प्राप्तकर्ता को सौंपना आवश्यक था। ऐसी परिस्थितियों में मंत्री समूह, ए. ए. आई. और एम. ओ. सी. ए. की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। बोली के महत्व और इसके निर्णय के दीर्घकालिक प्रभाव पर जोर देते हुए, यह कहा जाता है कि रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान किए गए राजस्व को शेयरधारकों के बीच वितरित किया जाएगा और वर्ष 2018-19 में अर्जित लाभ की तुलना में प्रस्ताव कम पाया गया। इस प्रकार, बोली प्रक्रिया को रद्द करके बोली को रद्द कर दिया गया है। इस प्रकार, उक्त आपत्तियों के साथ, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका का जीओएम और एम. आई. एल. द्वारा विरोध किया गया।

12. बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने दिनांक 18.08.2021 के विवादित फैसले द्वारा रिट याचिका को मंजूरी दी और कहा किः ((i)

07.03.2019 दिनांकित पत्र एक एल. ओ. ए. है; (ii) एम. आई. एल. द्वारा ली गई याचिका कि 07.03.2019 दिनांकित पत्र केवल बोली स्वीकृति का संचार है

सही नहीं है। वास्तव में, इसने पक्षों के बीच एक संपन्न अनुबंध को जन्म दिया है; (iii) दिनांकित पत्र द्वारा बोली प्रक्रिया को रद्द करने में एम. आई. एल. की कार्रवाई।

19.03.2020 (iv) इस मामले में तथ्यों के ऐसे कोई विवादित प्रश्न नहीं हैं जो उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र को बंद कर दें और (v) इस मामले में केवल संविदात्मक दायित्वों को लागू करना शामिल नहीं है, बल्कि इसमें निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाले सार्वजनिक कानून के प्रवर्तन का मुद्दा शामिल है -

संविदात्मक दायित्व। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका के प्रार्थना खंड के खंड (बी) में की गई प्रार्थना को लागू करने के लिए आगे कदम उठाने का निर्देश दिया।

13. व्यथित होने के कारण, वर्तमान चार दीवानी अपीलें दायर की गई हैं, जैसा कि एम. आई. एल., जी. ओ. एम., यू. ओ. आई. और ए. ए. आई. द्वारा ऊपर वर्णित किया गया है। 14. हमने श्री दुष्यंत दवे, एमआईएल के विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री श्याम दीवान, जीओएम के विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री के. एम. को सुना है।

नटराज, एएआई के लिए विद्वान एएसजी, श्री शैलेश मडियाल, उल के लिए विद्वान वकील और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, श्री मनिंदर सिंह और श्री पराग पी. त्रिपाठी ने उत्तरदाताओं के लिए वरिष्ठ वकीलों को विस्तार से सीखा और रिकॉर्ड का अध्ययन किया।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. तर्कों को अग्रिम रूप से सुनने के बाद और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन पर, विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दे इन अपीलों में निम्नलिखित हैं -

1) क्या एक चयनित बोलीदाता के रूप में जी. ए. एल. का समर्थन करने वाला 07.03.2019 दिनांकित पत्र और 12.03.2019 पर एम. आई. एल. को एक डुप्लिकेट प्रति पर जी. ए. एल. द्वारा संचार पर खंड 3 के संदर्भ में एल. ओ. ए. के बराबर होगा। 5 आर. एफ. पी. और, क्या इसे एक निष्कर्ष के रूप में माना जाएगा

अनुबंध?

2) क्या बोली प्रक्रिया को रद्द करने के लिए दिनांक 19.03.2020 का संचार मनमाना है और इस प्रकार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके RFQ/RFP की शर्तों के अनुरूप नहीं है?

3) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, एक सफल बोलीदाता होने के नाते जी. ए. एल. को केवल विशिष्ट मांग करने का सीमित अधिकार है।

निष्पादन, और एक गैर-वैधानिक अनुबंध होने के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपचार का लाभ नहीं उठाया जा सकता है?

4) चाहे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यू. ओ. आई. और ए. ए. आई. आवश्यक पक्षकार थे और उनके साथ शामिल हुए बिना, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राहत संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिकाओं में हस्तक्षेप की गारंटी देती है।

भारत?

16. उपरोक्त सभी प्रश्न परस्पर संबंधित हैं और

परिणामी उत्तर इस निष्कर्ष पर निर्भर करेगा कि अधिकारियों द्वारा बोली प्रक्रिया को रद्द करने के लिए प्रयोग किया गया अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप है। इसलिए, सभी प्रश्नों को आम तौर पर बाद के पैराग्राफ में निपटाया जाता है। उपरोक्त सभी प्रश्नों से निपटने के दौरान, पृष्ठभूमि और कुछ तथ्य जो रिकॉर्ड में हैं, उन्हें दोहराने की कीमत पर पता लगाना आवश्यक है।

17. वर्तमान मामले में, यह विवाद में नहीं है कि नागपुर हवाई अड्डे का संचालन एएआई द्वारा किया जा रहा था। जीओएम की पहल पर, मिहान परियोजना

जी. ओ. एल., एम. ओ. सी. ए., ए. ए. आई. और इंडियन एयर के साथ समन्वय में मंजूरी दी गई थी।

रक्षा मंत्रालय के माध्यम से बल। मिहान परियोजना के तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन (संक्षेप में "टीईएफएस") और एलएंडटी रैम्बोल कंसल्टिंग इंजीनियर लिमिटेड द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर, एक तरफ एमओसीए और एएआई के माध्यम से गोल और दूसरी तरफ जीओएम और एमएडीसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और जेवीसी बनाने का निर्णय लिया गया, जिसे मिहान परियोजना के

अनुसार विकास रखरखाव और संचालन के लिए नागपुर हवाई अड्डे को हस्तांतरित किया जाएगा। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, मिहान इंडिया लिमिटेड पर एक नोट तैयार किया गया था।

वी. जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड। & ओआरएस।

07.02.2009 ए. ए. आई. और एम. ए. डी. सी. की संयुक्त उद्यम कंपनी को नागपुर हवाई अड्डे के हस्तांतरण के उद्देश्य से एम. ओ. सी. ए. द्वारा। उक्त नोट को 11.02.2009 पर आयोजित अपनी बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। अनुमोदित नोट को सुनवाई के दौरान तैयार संदर्भ के लिए रखा गया है, इसकी सामग्री प्रासंगिक है, इसलिए इसे इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

एमएडीसी;

(iii) संयुक्त उद्यम भागीदारों की परिसंपत्तियाँ संयुक्त उद्यम की परिसंपत्तियाँ नहीं होंगी और इसके राजस्व हिस्से को निर्धारित करने का आधार बनेंगी।

संबंधित भागीदार;

((iv) दूसरे संयुक्त उद्यम के निपटान में रखी गई परिसंपत्तियां, जब भी इसका गठन किया जाएगा, संबंधित भागीदारों की परिसंपत्तियां बनी रहेंगी।

(v) दूसरे संयुक्त उद्यम के गठन का प्रस्ताव लाया जाए।

उचित समय पर मंत्रिमंडल के समक्ष; और

(vi) दूसरे संयुक्त उद्यम के लिए भागीदारों का चयन प्रतिस्पर्धात्मक माध्यम से किया जाएगा।

बोली लगाना "।

मंत्रिमंडल के उक्त निर्णय को एम. ओ. सी. ए. द्वारा ए. ए. आई. के अध्यक्ष को दिनांकित पत्र के माध्यम से रक्षा मंत्रालय सहित मंत्री समूह को एक प्रति के साथ सूचित किया गया था।

18. समझौता ज्ञापन और मंत्रिमंडल की मंजूरी के संदर्भ में, जे. वी. ए. में पहले जे. वी. सी. को शामिल किया गया था, जिसे एम. आई. एल. के रूप में जाना जाता है। के रूप में

समझौता ज्ञापन और जे. वी. ए. के अनुसार, एम. आई. एल. ने 07.08.2009 पर ए. ए. आई. से नागपुर हवाई अड्डे का अधिग्रहण कर लिया। मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार, संबंधित भागीदारों की संपत्तियों का मूल्यांकन अंतिम निर्णय के लिए सचिवों की एक समिति द्वारा किया जाना था। एम. ए. डी. सी. और ए. ए. आई. 51 के भागीदार होंगेः 49 % क्रमशः शेयर। एएआई और एमएडीसी की जो परिसंपत्तियां थीं, वे जेवीसी की परिसंपत्तियां नहीं होंगी। विभाजन 51:

केवल [2022] 19 एस. सी. आर है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संबंधित भागीदारों के राजस्व हिस्से के निर्धारण के लिए। यहां तक कि जेवीसी का गठन, परिसंपत्तियाँ संबंधित भागीदारों की परिसंपत्तियाँ बनी रहेंगी। दूसरे जेवीसी के लिए भागीदारों का चयन प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से किया जाएगा और दूसरे जेवीसी के गठन का प्रस्ताव होगा -

उचित समय पर मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया।

19. उक्त निर्णयों को देखते हुए और उन पर कार्रवाई करने के लिए, एम. आई. एल.

डी. बी. एफ. ओ. टी. आधार पर पी. पी. पी. मोड के माध्यम से हवाई अड्डे के उन्नयन, आधुनिकीकरण, संचालन और रखरखाव के लिए तैयार आर. एफ. क्यू. दिनांक 12.05.2016

मिहान परियोजना के महत्व पर जोर देते हुए और यह निर्दिष्ट करते हुए कि मिहान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एम. आई. एल. प्राधिकरण होगा। नागपुर हवाई अड्डे का विवरण, परियोजना के बारे में विवरण, बोली लगाने वालों के लिए पात्रता, काम का दायरा, जो बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और चयनित बोलीदाता को भी आर. एफ. क्यू. में शामिल किया गया था। मंत्रिमंडल के निर्णय और समझौता ज्ञापन को देखने पर यह स्पष्ट है कि एम. आई. एल. ए. ए. आई. और एम. ए. डी. सी. की ओर से कार्य करने वाली पहली जे. वी. सी. थी।

20. उक्त आर. एफ. क्यू. और आर. एफ. पी. के आधार पर, एम. आई. एल. द्वारा बोलियां आमंत्रित की गईं और जी. ए. एल. ने 28.09.2018 पर अपनी बोली प्रस्तुत की। जी. ए. एल. द्वारा देय राजस्व हिस्सेदारी @5.76% पर प्रस्तुत बोली सबसे अधिक थी। लेकिन एम. आई. एल. उक्त प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं था, हालांकि उसने जी. ए. एल. को 05.03.2019 पर पी. एम. आई. सी. के समक्ष बातचीत के लिए आमंत्रित किया। बातचीत के दौरान जी. ए. एल. ने 5.76% के स्थान पर 14.49% राजस्व हिस्सेदारी का प्रस्ताव दिया। इस तरह की बातचीत के बाद, जी. ए. एल. द्वारा एम. आई. एल. से 06.03.2019 पर एक अनुरोध किया गया था जल्द से जल्द एल. ओ. ए. जारी करना। एम. आई. एल., दिनांकित संचार के माध्यम से

07.03.2019 आर. एफ. पी. दिनांक 01.03.2018 और जी. ए. एल. द्वारा दिनांक 28.09.2018 और संशोधित वित्तीय प्रस्ताव दिनांक 06.03.2019 के संदर्भ में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और जी. ए. एल. को उच्चतम बोलीदाता के रूप में चुना गया। उक्त संचार में एम. आई. एल. ने सूचित किया कि सक्षम प्राधिकरण ने इस स्पष्टीकरण के साथ संशोधित बोली को स्वीकार कर लिया है कि उक्त स्वीकृति निम्नलिखित के अधीन है -

एएआई के स्वामित्व वाली भूमि को दूसरे पक्ष के पक्ष में हस्तांतरित करने और परियोजना के लिए एस. पी. वी. के गठन के लिए जी. ओ. एल. की मंजूरी ('अनुमोदन') इसका अर्थ है दूसरा जेवी। उक्त पत्र द्वारा, जी. ए. एल. को 7 दिनों के भीतर डुप्लिकेट कॉपी पर संशोधित बोली के लिए सहमति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, विफलता पर एम. आई. एल. को स्वीकृति को रद्द करने का अधिकार होगा, अन्यथा मिहान इंडिया लिमिटेड का अनुसरण करना होगा।

वी. जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड। & ओआरएस।

पत्र में बताए गए परिणाम। जी. ए. एल. ने इस प्रकार निर्धारित समय के भीतर 12.03.2019 पर एम. आई. एल. को पत्र की डुप्लिकेट प्रति पर हस्ताक्षर करने के बाद स्वीकृति प्रस्तुत की।

21. चूंकि निविदाएं आर. एफ. पी. के अनुसरण में आमंत्रित की गई थीं, हालांकि बोली के चयन और इसकी स्वीकृति की प्रक्रिया को समझने के लिए या

अस्वीकृति और चयनित बोलीदाता को घोषित करने के लिए एल. ओ. ए. जारी करना

रियायत पाने वाले, प्रासंगिक खंडों को देखने की आवश्यकता है। खंड 1.2 के अनुसार। 6 (ख) आर. एफ. पी. के अनुसार, यह स्पष्ट है कि बोली लगाने वाला, जो बोलियों के मूल्यांकन के समय सबसे अधिक राजस्व हिस्सेदारी की पेशकश कर रहा है, खंड 2.16 के प्रावधानों के अधीन सबसे अधिक बोली लगाने वाला होगा। 1 आर. एफ. पी. उक्त खंड 2.16 बोलियों की अस्वीकृति से संबंधित है और खंड 3.3 बोलीदाता के चयन से संबंधित है। आर. एफ. पी. के सभी उपरोक्त खंड प्रासंगिक हैं, हालांकि इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः

अध्याय-1:

सबसे अधिक बोली लगाने वालाः

1.2. 6 (क) रियायत के संदर्भ में प्राधिकरण को देय राजस्व हिस्से के आधार पर परियोजना के लिए बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।

समझौता।

(ख) इस आर. एफ. पी. में, "उच्चतम बोलीदाता" शब्द का अर्थ होगा वह बोलीदाता जो सबसे अधिक राजस्व हिस्सेदारी की पेशकश कर रहा है। रियायत अवधि और अन्य शर्तें पूर्व निर्धारित हैं, जैसा कि रियायत समझौते के मसौदे में दर्शाया गया है और राजस्व हिस्सेदारी का प्रतिशत बोलियों के मूल्यांकन के लिए एकमात्र मानदंड होगा। खंड 2.16 के प्रावधानों के अधीन, परियोजना सर्वोच्च को प्रदान की जाएगी।

बोली लगाने वाला।

अध्याय-2

2.16 : बोलियों को अस्वीकृत करनाः

2.16. 1 इस आर. एफ. पी. में कुछ भी निहित होने के बावजूद, प्राधिकरण किसी भी बोली को अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और ऐसी स्वीकृति, अस्वीकृति या रद्द करने के लिए किसी भी दायित्व या किसी भी दायित्व के बिना किसी भी समय सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और

इसके लिए कोई कारण बताए बिना। इस स्थिति में कि प्राधिकरण सभी बोलियों को अस्वीकार या रद्द कर देता है, वह अपने विवेक से सभी योग्य बोलीदाताओं को इसके तहत नई बोलियां जमा करने के लिए आमंत्रित कर सकता है।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.16. 2 : प्राधिकरण के पास किसी भी समय, बिना किसी सूचना या दायित्व के बोली प्रक्रिया के साथ आगे नहीं बढ़ने का अधिकार सुरक्षित है, और बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को अस्वीकार कर दें।

अध्याय-3

3.3. 1 . : खंड 2.16 के प्रावधानों के अधीन। 1 , वह बोलीदाता जिसकी बोली को खंड 3.2 के संदर्भ में उत्तरदायी माना जाता है। 1 और, जो प्राधिकरण को दिए गए उच्चतम राजस्व हिस्से का हवाला देता है, वह आमतौर पर चयनित बोलीदाता ("चयनित बोलीदाता") के रूप में घोषित किया जाता है। यदि प्राधिकरण सभी बोलियों को अस्वीकार या रद्द कर देता है, तो वह अपने विवेकाधिकार पर सभी योग्य बोलीदाताओं को नई बोलियां जमा करने के लिए आमंत्रित कर सकता है।

एल. ओ. ए., हस्ताक्षर करता है और उसकी स्वीकृति में एल. ओ. ए. की डुप्लिकेट प्रति लौटाता है। चयनित बोलीदाता द्वारा उपरोक्त एल. ओ. ए. की स्वीकृति के बाद, चयनित बोलीदाता को एल. ओ. ए./रियायत समझौते में निर्धारित समय अवधि के भीतर प्रदर्शन प्रतिभूति जमा करनी होगी। यदि चयनित बोलीदाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एल. ओ. ए. की डुप्लिकेट प्रति है निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं हुआ या चयनित बोलीदाता निर्धारित तिथि के भीतर प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहता है, प्राधिकरण, जब तक कि वह प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के लिए सहमति नहीं देता है।

तत्पश्चात, चयनित बोलीदाता द्वारा एल. ओ. ए. को स्वीकार करने या प्रदर्शन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफलता के कारण नुकसान के रूप में ऐसे बोलीदाता की बोली प्रतिभूति को उपयुक्त बनाएँ।

और अगले योग्य बोलीदाता पर विचार किया जा सकता है।

उक्त खंडों को आर. एफ. पी. की योजना, इसकी प्रयोज्यता और उद्देश्य को जानने के इरादे से देखा जाना आवश्यक है। अध्याय 1, जिसमें उच्चतम बोलीदाता को परिभाषित किया गया है, जो परियोजना के समावेश, बोली प्रक्रिया का विवरण, बोली प्रक्रिया की अनुसूची और बोली-पूर्व सम्मेलन से संबंधित है। खंड 1.2 में उच्चतम बोलीदाता की परिभाषा के अनुसार। 6 , यह स्पष्ट है कि यदि किसी परियोजना के लिए कोई बोली आमंत्रित की जाती है, तो यह रियायत समझौते के संदर्भ में प्राधिकरण को देय उच्चतम राजस्व हिस्से के आधार पर होगी और एकमात्र मानदंड प्रतिशत राजस्व हिस्सा होगा और उक्त आधार पर खंड 2.16 के अनुसार बोली की अस्वीकृति के अधीन परियोजना के उच्चतम बोलीदाता की घोषणा की जा सकती है।

मिहान इंडिया लिमिटेड। वी. जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड। & ओआरएस।

20. आर. एफ. पी. का अध्याय 2 बोली लगाने की सामान्य शर्तों, संघ की संरचना में परिवर्तन, स्वामित्व में परिवर्तन, बोली लगाने की लागत, स्थल पर जाने और सूचना के सत्यापन, सत्यापन से संबंधित है। अयोग्यता, आर. एफ. पी. की सामग्री, स्पष्टीकरण, आर. एफ. पी. का संशोधन, बोलियों को तैयार करना और प्रस्तुत करना जिसमें बोली का प्रारूप और हस्ताक्षर, बोलियों को सील करना और चिह्नित करना, बोली की नियत तारीख, विलंबित बोलियां, बोली की सामग्री, संशोधन/सबस्टेशन/बोलियों को वापस लेना, बोलियों की अस्वीकृति, बोली की वैधता शामिल हैं।

बोली, गोपनीयता, बोलीदाता के साथ पत्राचार, बोली प्रतिभूति आदि। ऊपर बताए गए निर्देश सामान्य रूप से बोली लगाने वालों के लिए हैं। खंड के अनुसार

2.16. 1 , प्राधिकरण के पास किसी भी बोली को अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और किसी भी समय बिना किसी दायित्व या ऐसी स्वीकृति, अस्वीकृति या रद्द करने के लिए किसी भी दायित्व के और इसके लिए कोई कारण बताए बिना सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि प्राधिकरण सभी को अस्वीकार या रद्द कर देता है बोलियों में, सभी योग्य बोलीदाताओं को नई बोलियां जमा करने के लिए आमंत्रित करने का विवेकाधिकार है। उक्त खंड के शाब्दिक निर्माण का अर्थ होगा कि प्राधिकरण को बोली प्रक्रिया को रद्द करने, ऐसी स्वीकृति, अस्वीकृति या रद्द करने के लिए कोई दायित्व रखे बिना सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है, वह भी बिना कोई कारण बताए। खंड के बाद के भाग के अनुसार, बोलियों की अस्वीकृति या रद्द होने पर, प्राधिकरण अपने विवेक से सभी योग्य बोलीदाताओं को नई बोलियां जमा करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इस प्रकार बोली प्रक्रिया को रद्द करना, सभी बोलियों को अस्वीकार करना बिना किसी दायित्व के है

स्वीकृति। यह स्पष्ट करता है कि स्वीकृति से पहले, रद्द करना, अस्वीकार करना खंड 2.16 के अनुसार कोई कारण बताए बिना किया जा सकता है। 2 .

पैरामीटर। खंड 3 के तहत। 1 , खंड 2.16 के प्रावधान के अधीन। 1 इसका अर्थ है यदि बोली को अस्वीकार या रद्द नहीं किया जाता है और जिसकी बोली को खंड 3.2 के अनुसार उत्तरदायी माना जाता है। 1 ({ a} से {i}) सबसे अधिक राजस्व हिस्सेदारी के साथ उत्तरदायी होगा और उक्त बोलीदाता को आम तौर पर एक चयनित बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा। इस प्रकार, बोली को अस्वीकार नहीं किए जाने की स्थिति में, खंड 3 के तहत बोलीदाता के चयन की प्रक्रिया। 1 गौर किया जाएगा। अगर

बोलीदाता उच्चतम राजस्व हिस्सेदारी का हवाला देता है और इसकी बोली को उत्तरदायी माना जाता है, जिसे खंड 3.3 के तहत चयनित बोलीदाता घोषित किया जाएगा। 1 . खंड 3 में निर्दिष्ट आकस्मिकताओं के अभाव में। 2 3. 3 तक। 4 , खंड 3 के अनुसार उच्चतम बोलीदाता के चयन पर विचार की गई प्रक्रिया। 5 इसका पालन किया जाना चाहिए। उक्त खंड के अनुसार, चयन के बाद, प्राधिकरण द्वारा चयनित बोलीदाता को डुप्लिकेट में एल. ओ. ए. जारी किया जाना आवश्यक है, जो

रसीद के सात दिन बाद, डुप्लिकेट कॉपी पर हस्ताक्षर करें और उसे वापस कर दें। इसके बाद सबसे अधिक बोली लगाने वाले को प्रदर्शन [2022] 19 एस. सी. आर. प्रस्तुत करना आवश्यक है।

एल. ओ. ए./रियायत समझौते में निर्धारित समय के भीतर प्रतिभूति। यदि उच्चतम बोलीदाता द्वारा निर्धारित समय के भीतर एल. ओ. ए. की स्वीकृति नहीं दी गई है, तो अगले पात्र उच्चतम बोलीदाता को बुलाया जा सकता है और उस पर विचार किया जा सकता है। खंड 3 के अनुसार। 6 , प्राप्त करने पर

चयनित बोलीदाता द्वारा एल. ओ. ए. की स्वीकृति, यह रियायतकर्ता को एल. ओ. ए. दिए जाने के 60 दिनों के भीतर रियायत समझौते को निष्पादित करने के लिए प्रेरित करेगा जैसा कि क्रम संख्या 11 में खंड 1.3 में निर्धारित किया गया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चयनित बोलीदाता को रियायत समझौते में संशोधन के किसी भी चूक, संशोधन का कारण बनने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा, जिसे इस तरह से निष्पादित किया जाएगा। इस प्रकार, आर. एफ. पी. की योजना के अनुसार, यदि उच्चतम बोलीदाता ने अस्वीकृति या रद्द करने के किसी भी आदेश के बिना प्रतिक्रियाशीलता की परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है और उच्चतम राजस्व हिस्से की पेशकश की है, तो उसे एक चयनित बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा और खंड 3 के संदर्भ में। 5 , एल. ओ. ए. जारी किया जाएगा जिसे स्वीकार किया जाएगा और हस्ताक्षर करने के बाद डुप्लिकेट प्रति निर्दिष्ट समय के भीतर वापस कर दी जाएगी। इसके बाद, रियायत प्राप्तकर्ता को रियायत समझौते को निष्पादित करना आवश्यक है। वर्तमान मामले में, जी. ए. एल. ने परीक्षा उत्तीर्ण की है प्रतिक्रियाशीलता और उच्चतम राजस्व की पेशकश करने पर, इसे चयनित बोलीदाता घोषित किया गया था। एल. ओ. ए. दिनांकित 07.03.2019 पत्र के माध्यम से जारी किया गया है जिसे स्वीकार किया गया है और डुप्लिकेट कॉपी पर हस्ताक्षर किए गए हैं और निर्दिष्ट अवधि के भीतर 12.03.2019 पर प्राधिकरण को वापस कर दिया गया है। रुपये की बोली प्रतिभूति। 16.85 जी. ए. एल. द्वारा जमा किए गए करोड़ रुपये को भी एम. आई. एल. के निर्देशों के तहत समय-समय पर बढ़ाया गया था। इस प्रकार, जी. ए. एल. खंड 3 के अनुसार रियायत प्राप्तकर्ता बन गया है। 6 आर. एफ. पी. और खंड 1.3 के अनुसार रियायत समझौते के निष्पादन का कारण बनता है।

23. इसके बाद, एम. आई. एल. ने श्री कुमार रंजन ठाकुर के माध्यम से रियायत समझौते के मसौदे को संलग्न करते हुए 20.03.2019 पर एक ईमेल भेजा। उन्होंने एम. एस. वर्ड प्रारूप में रियायत समझौते के मसौदे का अंतिम संस्करण साझा किया है। इसके बाद एम. आई. एल. की ओर से श्री एम. ए. आबिद रूही ने एक संदेश भेजा।

केवल "ट्रैक चेंज मोड" में रियायत समझौते के मसौदे में संशोधन करने के अनुरोध के साथ 29.05.2019 पर संचार जो उसे GAL द्वारा किए गए परिवर्तनों की पहचान करने में सक्षम बनाएगा। जी. ए. एल. ने रियायत समझौते का मसौदा तैयार करने के बाद सूचित किया

परिवर्तन होता है। इसके बाद, एम. आई. एल. की ओर से कोई संचार नहीं किया गया। इस बीच, जी. ए. एल. ने एम. आई. एल. से पुराने टर्मिनल भवन में जगह उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उक्त अनुरोध को 16.08.2019 दिनांकित संचार के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया और कार्यालय चलाने के लिए एक स्थान प्रदान किया गया। इसके बाद जी. ए. एल. ने 24.08.2019 पर मिहान परियोजना को चलाने के लिए जी. एन. आई. ए. एल. नामक एक कंपनी को शामिल करने का अनुरोध किया।

उसकी ओर से, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया।

मिहान इंडिया लिमिटेड। वी. जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड। & ओआरएस।

24. उपरोक्त चर्चा के अनुसार, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जी. ए. एल. का चयन करने के बाद दिनांकित 07.03.2019 एक एल. ओ. ए. है।

सबसे अधिक बोली लगाने वाला और इसने रियायत पाने वाले का दर्जा प्राप्त कर लिया। यह केवल रियायत समझौते को निष्पादित करने की आवश्यकता थी और आर. एफ. पी. के प्रावधानों का पालन करने में जी. ए. एल. की ओर से कोई गलती नहीं थी। अपीलार्थी एम. आई. एल. का आचरण यह भी इंगित करता है कि रियायत समझौते को रियायत प्राप्तकर्ता (जी. ए. एल.) द्वारा निष्पादित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, स्वीकृति पत्र जारी करने पर उच्चतम राजस्व हिस्से के प्रस्ताव के बाद और जैसा कि आचरण द्वारा भी परिलक्षित होता है, यह एक संपन्न अनुबंध बन गया है।

25. एल. ओ. ए. के बाद जब काफी समय से रियायत समझौते के निष्पादन के लिए कदम नहीं उठाए गए थे, तो जी. ए. एल. द्वारा 25.02.2020 पर रियायत समझौते के निष्पादन के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया था। फिर 2020 की रिट याचिका संख्या 1343 निम्नलिखित राहतों का अनुरोध करते हुए दायर की गईः

अनिवार्य लिखित आदेश या कोई अन्य उपयुक्त लिखित आदेश जारी करें,

अ)

उत्तरदाताओं को पत्र को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक और परिणामी कदम उठाने का निर्देश या आदेश के पक्ष में रियायत समझौते के निष्पादन सहित लेकिन सीमित नहीं 07.03.2019 दिनांकित पुरस्कार

याचिकाकर्ता संख्या 2 और अन्य सहायक दस्तावेज;

ख)

उत्तरदाताओं को निर्देश देते हुए एक पूर्व-पक्षीय विज्ञापन अंतरिम आदेश पारित करें

ऐसा कोई दंडात्मक कदम न उठाना जो उक्त परियोजना में याचिकाकर्ताओं के हितों और अधिकारों के लिए हानिकारक हो

और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक "।

26. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 11.03.2020 आदेश के माध्यम से नोटिस जारी करने पर, मामले को 18.03.2020 पर अंतिम निपटान के लिए रखा गया था। की प्रतिलिपि उक्त नोटिस एम. आई. एल. और जी. ओ. एम. को 11.03.2020 पर और अदालत के बेलिफ के माध्यम से भी 16.03.2020 पर दिया गया था। उक्त नोटिस प्राप्त होने पर, जीओएम ने 16.03.2019 पर एम. आई. एल. को नए सिरे से निविदा प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया।

पी. एम. आई. सी. के दिनांकित 14.10.2019 पत्र का संदर्भ। इसके अनुसरण में, खंड 2.16 के संदर्भ में बोली प्रक्रिया को रद्द करने के लिए एम. आई. एल. द्वारा दिनांक 19.03.2020 का पत्र जारी किया गया था। 1 . यह प्रासंगिक है कि द्वारा निर्देशित नई निविदा प्रक्रिया

बोलीदाता के चयन और एलओए जारी करने के बाद निर्णय लिए बिना पीएमआईसी संभव नहीं हो सकता है। इसलिए, एम. आई. एल. ने नई निविदा प्रक्रिया के लिए बिना किसी निर्देश के बोली प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश जारी किया। उक्त दिनांकित 19.03.2020 पत्र की वैधता पर सवाल उठाया गया था।

बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष 2020 की रिट याचिका संख्या 1723 में जिसे विवादित आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27. अब उच्च न्यायालय के तर्क को सही ठहराने के लिए, सामग्री

जिसे जवाबी हलफनामा दाखिल करके लाया गया है, जो बोली प्रक्रिया को रद्द करने का आधार बना है, उसे संदर्भित करने की आवश्यकता है। सामग्री से, यह पता चलता है कि रियायत समझौते के संचार और ट्रैक चेंज मोड में किए जाने वाले संशोधनों के प्रस्ताव के बाद, एएआई ने 26.07.2019 पर भारत सरकार को एक नोट शीट डाली जिसमें मिहान परियोजना के विकास के लिए एम. ए. डी. सी. के माध्यम से एम. ओ. सी. ए. और जी. ओ. एम. के बीच एम. ए. डी. सी. के माध्यम से दिनांकित समझौता ज्ञापन के निष्पादन के संबंध में पूरी पृष्ठभूमि का फिर से उल्लेख किया गया है; जे. वी. सी. का गठन; दिनांकित जे. वी. समझौता; एम. आई. एल. को हवाई अड्डे के हस्तांतरण का प्रवेश; जे. वी. सी. के भागीदारों के शेयरों का निर्धारण; बोलियां आमंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम और ए. ए. आई. बोर्ड द्वारा अनुमोदित राजस्व हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बातचीत के विवरण का हवाला देते हुए, नागपुर हवाई अड्डे पर भूमि की वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया गया। हालांकि, उक्त नोट शीट में, जी. ओ. एल. से अनुरोध किया गया था कि वह दूसरे जे. वी. सी. द्वारा संचालन शुरू करने की प्रभावी तारीख से 30 साल के लिए एम. आई. एल. को भूमि के दीर्घकालिक पट्टे की मंजूरी दे।

रियायत प्राप्तकर्ता (यानी जी. एम. आर. एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए जी. एन. आई. ए. एल.) और दूसरे जेवीसी/रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा संचालन शुरू होने की तारीख तक एम. आई. एल. द्वारा नष्ट की गई भूमि के कब्जे और नागपुर हवाई अड्डे के संचालन का अनुसमर्थन। एक अनुरोध आगे किया गया कि नागपुर हवाई अड्डे के उन्नयन, आधुनिकीकरण, संचालन और रखरखाव के लिए दूसरे संयुक्त उद्यम यानी विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) (यानी जी. एम. आर. एयरपोर्ट्स लिमिटेड के लिए जी. एन. आई. ए. एल.) के गठन के लिए 897 एकड़ में ए. ए. आई. भूमि का लाइसेंस दिया जाए।

लगभग। प्रारम्भ होने की तारीख से 30 वर्ष की अवधि के लिए

दूसरे जेवीसी/रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा ऑपरेशन भेजा जा सकता है। कैबिनेट नोट का मसौदा अवलोकन और भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संलग्न किया गया था। उक्त नोट पर, एम. ओ. सी. ए. ने अध्यक्ष, ए. ए. आई. से दिनांक 02.08.2019 के पत्र द्वारा कुछ स्पष्टीकरण मांगे। उक्त पत्र प्रासंगिक है, इसलिए इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" एवी-21018/2/2019-एएआई-एमओसीए

भारत सरकार

नागरिक उड्डयन मंत्रालय

बी-ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,

सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली।

तारीखः 2 अगस्त,

2019 मिहान इंडिया लिमिटेड।

वी. जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड। & ओआरएस।

को,

सभापति,

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,

राजीव गांधी भवन,

सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली।

विषयः एएआई और संयुक्त के बीच पट्टा विलेख का निष्पादन नागपुर हवाई अड्डे की भूमि को पट्टे पर देने के लिए वेंचर कंपनी (जेवीसी) मिहान इंडिया लिमिटेड (एमआईएल)

और

बाबासाहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल के उन्नयन, आधुनिकीकरण, संचालन और रखरखाव के लिए रियायत के लिए वाहन (एसपीवी) हवाई अड्डा, नागपुर।

साहब,

मुझे ए. ए. आई. के यू. ओ. नोट नं. ए. वी.-21012/63/2003-एल. एम./Vol.IV/369, दिनांक 26.07.2019 विषय पर ऊपर उल्लिखित और यह कहना कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय को निम्नलिखित विवरण/स्पष्टीकरण तत्काल प्रदान किया जा सकता हैः

(क) एम. ए. डी. सी. और ए. ए. आई. के बीच नागपुर में जे. वी. बनाने की अनुमति देते समय, मंत्रालय ने दिनांक 1 के पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि दूसरे जे. वी. के गठन का प्रस्ताव उचित समय पर केंद्र सरकार के समक्ष लाया जाएगा। इसके अलावा, पहले चरण में दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों और दूसरे चरण में छह अन्य हवाई अड्डों के लिए पीपीपी प्रक्रिया के दौरान, एएआई ने केंद्र से पूर्व मंजूरी ले ली थी

निजी क्षेत्र के लिए बोली प्रक्रिया शुरू करने से पहले मंत्रिमंडल

रियायत पाने वाले। हालांकि, तत्काल मामले में, यह स्पष्ट नहीं है कि एएआई ने मिहान परियोजना के लिए कोई बोली प्रक्रिया शुरू करने से पहले मंत्रिमंडल की पूर्व मंजूरी क्यों नहीं ली।

(ख) चूंकि नागपुर हवाई अड्डे को पीपीपी के माध्यम से विकसित करने का प्रस्ताव है, इसलिए यह स्पष्ट किया जा सकता है कि क्या आर्थिक मामलों के विभाग और पीपीपीएसी (सार्वजनिक) द्वारा जारी किए गए सभी दिशानिर्देश हैं।

निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति) ने इस संबंध में

पालन किया गया।

(ग) राजस्व में हिस्सेदारी बढ़ाने का आधार क्या था?

सबसे अधिक बोली लगाने वाला 5.76% से 14.49% और आधार
एम. आई. एल. और जी. एम. आर. के बीच बातचीत?

(घ) बोली और लेन-देन दस्तावेजों की प्रतियां साझा की जा सकती हैं।
जाँच के लिए।

(ई) नागपुर हवाई अड्डे पर भूमि का स्वामित्व भी स्पष्ट नहीं है
उपरोक्त प्रस्ताव। इसलिए, एएआई सटीक जानकारी दे सकता है
वर्तमान में उनके स्वामित्व में भूमि की मात्रा।

(च) ए. ए. आई. और आई. ए. एफ. के बीच भूमि विवाद है। 288.74
नागपुर हवाई अड्डे पर एकड़ भूमि जिसे छँटाया नहीं गया है
अभी तक बाहर। ठोस विवरण के बिना प्रस्ताव मुश्किल है
मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए प्रक्रिया। इसके अलावा, यह स्पष्ट होना चाहिए
कहा गया है कि 897 एकड़ भूमि को नष्ट करने का प्रस्ताव है
दूसरे जेवी/एसपीवी के लिए लाइसेंस प्राप्त होना ओवरलैप नहीं करता है
288.74 एकड़ की विवादित भूमि जो भारतीय वायुसेना के कब्जे में है
नागपुर हवाई अड्डे पर।

(छ) एक रंगीन मानचित्र जिसमें भूमि का स्पष्ट सीमांकन दिखाया गया है।
ए. ए. आई., एम. आई. एल. और जी. एम. आर. को दी जाने वाली प्रस्तावित भूमि
नागपुर हवाई अड्डा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(ज) प्रस्ताव से यह स्पष्ट नहीं है कि राजस्व का हिस्सा क्या है।
एएआई और एमएडीसी के बीच वर्तमान में क्या है और क्या होगा
दूसरे संयुक्त उद्यम के गठन के बाद उनके बीच हिस्सेदारी।
एएआई से अनुरोध है कि कृपया स्पष्टीकरण/जानकारी प्रदान करें

2 .

इस मंत्रालय को उपर्युक्त टिप्पणियों के संबंध में जल्द से जल्द।

आपकी ईमानदारी से,

एसडी /

(वी आर हेगड़े)

निर्देशक "

28. ऐसा प्रतीत होता है कि जवाब में कुछ पत्राचार किया गया है

पत्र के माध्यम से कहा गया पत्र सं। ए. वी./21012/63/2003-एल. एम.-खंड 656 दिनांकित 2.08.2019 ए. ए. आई. को, जो अभिलेख में नहीं है। निरंतरता में, एम. ओ. सी. ए., एटर दिनांकित 20.08.2019, ने पैराग्राफ में कुछ कमियों की सूचना दी है

वह पत्र जो निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

मिहान इंडिया लिमिटेड। वी. जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड। & ओआरएस।

" नहीं। एवी-21018/2/2019-एएआई (एडी)

भारत सरकार

नागरिक उड्डयन मंत्रालय

बी-ब्लॉक, आर. जी. भवन,

सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली।

तिथि 20 अगस्त, 2019

को,

सभापति,

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,

राजीव गांधी भवन,

नई दिल्ली।

विषयः एएआई और संयुक्त के बीच पट्टा विलेख का निष्पादन नागपुर हवाई अड्डे की भूमि को पट्टे पर देने के लिए उद्यम (जेवीसी) मिहान इंडिया लिमिटेड (एमआईएल)।

और

बाबासाहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल के उन्नयन आधुनिकीकरण, संचालन और रखरखाव के लिए रियायत के लिए वाहन (एस. पी. वी.) हवाई अड्डा, नागपुर।

साहब,

मुझे ए. ए. आई. के यू. ओ. नोट नं. एवी-21012/01/2016 एल. एम./155, दिनांक 26.07.2019 और सं. ए. वी.-21012/63/2003-एल. एम./Vol.656 दिनांक 08/09.08.2019 ऊपर उल्लिखित विषय पर।

2. एएआई के प्रस्ताव की जांच की गई है और विभिन्न कमियों को देखा गया है जिन्हें मंत्रिमंडल के लिए नोट तैयार करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। प्रमुख अवलोकन इस प्रकार हैं:

(i) 07.02.2009 पर आयोजित बैठक में मंजूरी देते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि डेवलपर का चयन किया जाएगा।

पी. एफ. क्यू., आर. एफ. पी. [2022] 19 एस. सी. आर. सहित मानक बोली दस्तावेजों और प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए हवाई अड्डों के विकास के लिए मानक पद्धति के अनुसार उच्चतम राजस्व हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रियायत समझौते। इस निर्णय से महाराष्ट्र सरकार के एएआई को अवगत करा दिया गया था।

और एम. ए. डी. सी. ने 18.02.2009 दिनांकित पत्र का उपयोग किया।

यह स्पष्ट किया जा सकता है कि क्या द्वारा जारी किए गए मॉडल दस्तावेज

पूर्ववर्ती योजना आयोग (द्वारा अपनाया गया मानक दस्तावेज)

पी. पी. पी. ए. सी.) नागपुर की निविदा प्रक्रिया में अपनाया गया है।

हवाई अड्डा। यदि नहीं, तो विचलन कथन प्रस्तुत किया जा सकता है।

((ii) क्या लेन-देन दस्तावेज़ में इसके लिए प्रावधान था -

बोली मापदंड में बातचीत? किन शर्तों पर 5.14% से 14.49% तक राजस्व हिस्सेदारी में बातचीत? क्या

अन्य बोलीदाताओं को भी राजस्व हिस्सेदारी पर बातचीत करने का विकल्प दिया गया था।

(iii) हस्तांतरण पर ए. ए. आई. को क्या लाभ प्राप्त होंगे?

हवाई अड्डे की जमीन निजी डेवलपर को? किस पर वापसी होगी

हवाई अड्डे के विकास के लिए एएआई द्वारा अब तक किया गया निवेश?

(iv) एम. आई. एल. में ए. ए. आई. और एम. ए. डी. सी. के बीच इक्विटी अनुपात 49.51 है।

जबकि वर्तमान प्रस्ताव में राजस्व बंटवारे का प्रावधान है।

सकल राजस्व (45:55) के अनुपात में एएआई और एमएडीसी के बीच

एम. आई. एल. एएआई विचलन के लिए औचित्य प्रदान कर सकता है।

(v) बोली प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। चरण

बोली, योग्यता मानदंड, रियायत तय करने का आधार

अवधि, नहीं। प्राप्त बोलियों आदि की?

3. ए. ए. आई. से अनुरोध है कि कृपया स्पष्टीकरण/जवाब दें।

इस मंत्रालय को तत्काल उपरोक्त अवलोकन।

आपकी

ईमानदारी से,

एसडी /

कृष्ण के. सिंह

अनुभाग अधिकारी

"

इसे आगे बढ़ाते हुए, 30.08.2019 पर एक बैठक आयोजित की गई।

सचिव (नागरिक उड्डयन), एम. ओ. सी. ए. की अध्यक्षता जिसमें

राफ़ 5, दिनांकित 20.08.2019 पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण

की तलाश की। बैठक के कार्यवृत्त इस प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं:

" 30.08.2019 पर आयोजित बैठक के कार्यवृत्त राजीव गांधी मिहान इंडिया लिमिटेड में नागरिक उड्डयन सचिव की अध्यक्षता।

वी. जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड। & ओआरएस।

बी भवन, नई दिल्ली पीपीपी के तहत नागपुर हवाई अड्डे को पट्टे पर देने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेगा।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी. पी. पी.) के तहत निजी रियायत प्राप्तकर्ता। 2. संलग्न प्रतिभागियों की सूची।

3. सचिव, नागरिक उड्डयन ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और प्रधान सचिव, सरकार से अनुरोध किया। महाराष्ट्र का विस्तार से नागपुर हवाई अड्डे को पट्टे पर देने के संबंध में बोली प्रक्रिया का विवरण। महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई (प्रति संलग्न)।

4. प्रस्तुति के दौरान, यह बताया गया कि नागपुर हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए 2009 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) का गठन किया गया था। इस प्रकार गठित जेवीसी का नाम मल्टी मॉडल इंटरनेशनल पैसेंजर एंड कार्गो रखा गया था नागपुर इंडिया लिमिटेड (एम. आई. एल.) में हब हवाई अड्डा जहां ए. ए. आई. का संचालन है।

49 % इक्विटी और एम. ए. डी. सी. की शेष 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यह भी बताया गया कि एम. आई. एल. 2009 से नागपुर हवाई अड्डे का संचालन कर रही है और इसने लगभग 25 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है। 49 वर्ष 2018-19 के लिए रु. इसके बाद, सरकार के अधिकारियों द्वारा रियायत पाने वालों का चयन करने के लिए निविदा आमंत्रित करने के लिए अपनाई गई विस्तृत प्रक्रिया के बारे में बताया गया। महाराष्ट्र से। 5. प्रस्तुति के बाद, सचिव, नागरिक उड्डयन ने एम. ए. डी. सी. के अधिकारियों से निम्नलिखित विशिष्ट मुद्दों को स्पष्ट करने का अनुरोध कियाः

((i) खंड 2.2। 1 (ग) आर. एफ. क्यू. में कहा गया है कि रियायत पाने वाले का चयन उच्चतम राजस्व के एकमात्र मानदंड के आधार पर किया जाएगा।

उद्धृत शेयर, राजस्व हिस्सेदारी पर उच्चतम बोलीदाता के साथ बातचीत (5.76% से 14.49% तक बढ़ी)। बोली के बाद की बातचीत को उचित ठहराने की आवश्यकता है।

(ii) आर. एफ. क्यू. की अवधि से लेकर बोली शुरू होने की तारीख तक आर. टी. हवाई अड्डे के अनुभव के लिए पात्रता मानदंडों में लगातार बदलाव किए गए थे। इसके लिए ठोस कारणों के साथ आधार बताए जा सकते हैं।

(iii) चूंकि बोली दस्तावेज में बार-बार बदलाव हुए हैं और मानक दस्तावेजों से विचलन हुआ है, इसलिए एक विस्तृत [2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुमोदित दस्तावेज़ के साथ विचलन विवरण

औचित्य प्रदान करने की आवश्यकता है।

((iv) वर्तमान में हवाई अड्डे का संचालन सरकारी उपक्रम द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है और यह 10,000 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित कर रहा है। 49 क्र. के लिए

2019 और 20 प्रतिशत से अधिक की अनुमानित यातायात वृद्धि के साथ लाभ अर्जित करना जारी रखेगा। इसलिए, रियायत पाने वाले द्वारा दिए गए राजस्व हिस्से के परिणामस्वरूप केवल रु। 15 सरकारी उपक्रम को करोड़। क्या हवाई अड्डे को पट्टे पर देना उचित है, जो रुपये का लाभ कमा रहा है। 50 क्र. प्रति वर्ष, रुपये के लाभ पर निजी रियायत प्राप्तकर्ता को। 15 करोड़ (भले ही

भूमि क्षेत्र से संभावित राजस्व सृजन

रियायत पाने वाले पर विचार नहीं किया जाता है)।

6. सचिव ने कहा कि एएआई की भूमि सहित परिसंपत्तियों को निजी पक्ष को पट्टे पर देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की आवश्यकता होती है। इसलिए, उन्होंने सरकार के प्रतिनिधि से अनुरोध किया महाराष्ट्र राज्य सरकार के विचारों के साथ उपरोक्त प्रत्येक अवलोकन के लिए एक विस्तृत औचित्य भेजेगा।

इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखना।

5.6 प्रधान सचिव, सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि चूंकि बोली प्रक्रिया पीएमआईसी की समग्र देखरेख में की गई थी, इसलिए उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर पीएमआईसी की मंजूरी से गोल को भेजे जाएंगे। 6. बैठक का समापन अध्यक्ष को धन्यवाद देने के साथ हुआ।

29. एम. आई. एल. द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी-शपथ पत्र या दिनांकित 20.08.2019 पत्रों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और

. 2019 , हालाँकि यह उनका दायित्व था कि वे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। बैठक में एक बहाना लिया है कि जवाब के बाद भेजा जाए

सी 14.10.2019 पर आयोजित किया गया था, जिसमें निविदा का निर्देश दिया गया था। उक्त बैठक की चर्चाओं का डी नोट निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:जे. ई. टी. निगरानी और कार्यान्वयन समिति (पी. एम. आई. सी.)

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का उन्नयन और आधुनिकीकरण

पी. पी. पी. के तहत डी. बी. एफ. ओ. टी. आधार पर नागपुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

" परियोजना ")

14 अक्टूबर 2019

चर्चाओं का रिकॉर्ड नोट मिह्यान इंडिया लिमिटेड।

वी. जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड। & ओआरएस।

शीर्षक परियोजना पर परियोजना निगरानी और कार्यान्वयन समिति (पीएमआईसी) की 9 वीं बैठक की अध्यक्षता

महाराष्ट्र सरकार के माननीय मुख्य सचिव का 14 अक्टूबर 2019 को 4 बजे आयोजित किया गया थाः 30 मुख्य सचिव में पी. एम. कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई। बैठक का एजेंडा 30 अगस्त 2019 के अपने पत्र के अनुसार एम. ओ. सी. ए. की टिप्पणियों के औचित्य/प्रतिक्रिया पर चर्चा करना था।

उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एम. ए. डी. सी./अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मिहान इंडिया लिमिटेड ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और प्रारंभिक टिप्पणी की। फिर उन्होंने लेन-देन सलाहकार (टी. ए.), अर्न्स्ट एंड यंग एल. एल. पी. से एमओ. सी. ए. की टिप्पणियों का औचित्य/प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

टी. ए. ने समिति के सदस्यों को 30 अगस्त 2019 के अपने पत्र के अनुसार एम. ओ. सी. ए. द्वारा उठाई गई निम्नलिखित टिप्पणियों के जवाब प्रस्तुत किए।

1. बोली के बाद की बातचीत पर औचित्य

2. आर. एफ. क्यू. और आर. एफ. पी. स्तर पर पात्रता मानदंडों में परिवर्तन

3. मानक दस्तावेज़ से विचलन

उपरोक्त चर्चाओं और विचार-विमर्शों के आधार पर, पी. एम. आई. सी. ने परियोजना के लिए फिर से बोली लगाने का निर्देश दिया। बैठक का समापन अध्यक्ष को धन्यवाद देने और एम. आई. एल. के सी. एम. डी. से सदस्यों को समय-समय पर इस संबंध में जानकारी देने के अनुरोध के साथ हुआ।

पी. पी. पी. के तहत नागपुर हवाई अड्डे को पट्टे पर देने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली के राजीव गांधी बी भवन में नागरिक उड्डयन सचिव की अध्यक्षता में आई. डी. 1 पर आयोजित बैठक के कार्यवृत्त।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30. मामले के तथ्यों में, 02.08.2019,20.08.2019 दिनांकित पत्रों और 30.08.2019 दिनांकित एम. ओ. सी. ए. की बैठक में उठाई गई आपत्तियां और

पी. एम. आई. सी. द्वारा अपनी दिनांकित 14.10.2019 की बैठक में चर्चा के रिकॉर्ड नोट में

इनका विश्लेषण इस इरादे से किया जाना आवश्यक है कि पुनः निविदा का निर्देश जारी करते समय बोली प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश कितना न्यायसंगत, उचित और न्यायसंगत है। वास्तव में ऐसा पत्र आर. एफ. पी. के विभिन्न खंडों के खिलाफ है। इस संबंध में जैसा कि ऊपर बताया गया है, नागपुर हवाई अड्डे को जे. वी. सी. को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से जिसमें ए. ए. आई. और एम. ए. डी. सी. शामिल हैं, एम. ओ. सी. ए. द्वारा कैबिनेट नोट 07.02.2009 पर रखा गया था जिसे कुछ निर्देशों के साथ मंजूरी दी गई थी। मंत्रिमंडल ने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से दूसरे संयुक्त उद्यम का चयन करने और दूसरे संयुक्त उद्यम के गठन के प्रस्ताव को उचित समय पर मंत्रिमंडल के समक्ष लाने की अनुमति दी। इसलिए, बोली जमा करने पर और एल. ओ. ए. जारी होने के बाद जी. ए. एल. को चयनित बोलीदाता घोषित करने पर, मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, दूसरे संयुक्त उद्यम के गठन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा भागीदार के चयन के बाद दूसरा मंत्रिमंडल नोट रखा जाना आवश्यक है। यह देखा जाना चाहिए कि यदि प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया केवल मंत्रिमंडल की मंजूरी के बहाने उचित थी, तो अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होगी।

31. एमओसीए ने अपनी बैठक 30.08.2019 पर आयोजित की। मान लीजिए, उक्त बैठक एएआई दिनांक 26.07.2019 के नोट पर है, जिस पर आपत्ति है

पत्र की तारीख 02.08.2019 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था और एएआई द्वारा जवाब दिया गया था

08 / 09.08.2019 (अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन एम. ओ. सी. ए. के दिनांकित 20.08.2019 के पत्र में संदर्भित) पर विचार किया गया है। वे कितनी दूर हैं? आपत्तियाँ प्रासंगिक हो सकती हैं जिन पर बोली प्रक्रिया को रद्द करने के लिए अधिकारियों की कार्रवाई का परीक्षण करने और यह जानने के लिए विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या उक्त कार्रवाई मनमाना नहीं थी। 30.08.2019 पर हुई बैठक में एम. ए. डी. सी. द्वारा प्रस्तुति दी गई, जिसे सचिव, एम. ओ. सी. ए. ने आगे बताया।

स्पष्टीकरण के लिए कहा।

32. पहला स्पष्टीकरण यह मांगा गया था कि बोलीदाता के चयन के लिए मानदंड उद्धृत उच्चतम राजस्व हिस्से पर आधारित होगा। पी. एम. आई. सी. द्वारा बातचीत के बाद, 5.76% के रूप में उद्धृत राजस्व हिस्सेदारी को बढ़ाकर 14.49% कर दिया गया। लेकिन बोली के बाद की बातचीत का क्या औचित्य था। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से, न तो पीएमआईसी जो प्रतिनिधित्व करता है जीओएम और न ही एम. आई. एल. ने इसे स्पष्ट करने के लिए कोई सामग्री दाखिल की है। लेकिन, गैर-विवादित तथ्यों में, यह ध्यान नहीं दिया जा सकता है कि जी. ए. एल. को जी. ओ. एम. और एम. आई. एल. द्वारा सार्वजनिक हित में अधिक राजस्व हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए बातचीत के लिए बुलाया गया था। वे 5.76% के स्थान पर

14.49% राजस्व हिस्सेदारी प्राप्त करने में सफल रहे। इस प्रकार, एम. ओ. सी. ए. द्वारा इस तरह की कार्रवाई पर सवाल उठाने की कितनी आवश्यकता है।

हमारा विचार है कि बातचीत के बाद यदि एम. आई. एल. या जी. ओ. एम. द्वारा अधिक राजस्व हिस्सा अर्जित किया गया है, तो ऐसा कार्य न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित है। इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है और एम. ओ. सी. ए. द्वारा मांगी गई बैठक के कार्यवृत्त के पैरा 5 (i) पर स्पष्टीकरण आर. एफ. पी. के संदर्भ में अनुचित था। इस तरह की आपत्ति को उचित ठहराने के लिए उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष भी कोई सामग्री नहीं लाई गई है।

33. दूसरा स्पष्टीकरण/आपत्ति आर. एफ. क्यू. की अवधि से बोली खोलने की तारीख तक हवाई अड्डे के अनुभव के संबंध में पात्रता मानदंडों में बार-बार बदलाव के बारे में थी, जिसके कारण थे -

एम. ओ. सी. ए. द्वारा मांगा गया। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बोली प्रक्रिया से पहले आर. एफ. क्यू. तैयार किया गया था। निविदा जारी करने के बाद, पाँच बोलीदाताओं को चुना गया, जिन्हें आर. एफ. पी. दिनांक 01.03.2018 जारी किया गया था। पाँच बोलीदाताओं में से दो ने अंतिम बोली प्रस्तुत की। इसलिए, यदि निविदा जारी करने से पहले आर. एफ. क्यू. में कोई बदलाव किया गया था, तो यह सभी बोलीदाताओं के लिए था। आर. एफ. क्यू. के संदर्भ में यह चयनित बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली को कैसे प्रभावित कर सकता है। उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष यह कहने का कोई औचित्य नहीं है कि ऐसी कार्रवाई मनमाना होगी। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जिससे पता चले कि एम. आई. एल. या जी. ओ. एम. ने तिरछे कारणों से जी. ए. एल. का समर्थन किया है। ऐसी परिस्थितियों में, दिनांक 1 की बैठक में उठाई गई दूसरी आपत्ति/स्पष्टीकरण पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है, विशेष रूप से एल. ओ. ए. जारी होने के बाद।

34. तीसरी आपत्ति/स्पष्टीकरण बोली दस्तावेज में लगातार बदलाव के संबंध में माँगा गया था। ऐसा कहा जाता है कि एक विचलन था

मानक दस्तावेज़ (पीपीपी परियोजनाओं के लिए योग्यता के लिए मॉडल अनुरोध और पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव के लिए मॉडल अनुरोध)। एम. आई. एल. और जी. ओ. एम. से विचलन के औचित्य का बयान पूछा गया था। मानक दस्तावेज़ (पी. पी. पी. परियोजनाओं के लिए योग्यता के लिए मॉडल अनुरोध और पी. पी. पी. परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव के लिए मॉडल अनुरोध, संक्षेप में "मॉडल आर. एफ. क्यू. और

आर. एफ. पी.) केवल एक मॉडल है जिसका पालन किया जाना चाहिए। उक्त मॉडल आर. एफ. क्यू. और आर. एफ. पी. के आधार पर, किसी विशेष परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण को आर. एफ. क्यू. और आर. एफ. पी. तैयार करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में, आर. एफ. क्यू. और आर. एफ. पी. एम. आई. एल. द्वारा तैयार किए गए थे और पी. एम. आई. सी. द्वारा अनुमोदित किए गए थे।

परियोजना की प्रकृति। इसलिए, मॉडल आर. एफ. क्यू. और आर. एफ. पी. से विचलन के संबंध में या मॉडल आर. एफ. क्यू. और आर. एफ. पी. पर आधारित बोली दस्तावेज में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण को उचित नहीं कहा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा जारी आर. एफ. क्यू. और आर. एफ. पी. की शर्तों का विश्लेषण करते हुए आपत्ति उठाई गई है, जिसके आधार पर बोली प्रक्रिया की जाती है।

पूरा हो गया। हमारे विचार में, उक्त आपत्ति/स्पष्टीकरण पीड़ित है [2022] 19 एस. सी. आर.

कार्यवाही 30.8.2019 में पैरा 5 (i से iii) मनमाने और अनुचित हैं। और बिना किसी औचित्य के, इस न्यायालय के समक्ष भी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसलिए, ये सभी प्रश्न भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं।

35. चौथी आपत्ति/स्पष्टीकरण रुपये के लाभ के संबंध में माँगा गया था। 49 वर्ष में अर्जित करोड़ रुपये (2018-19) और 20 प्रतिशत की अनुमानित यातायात वृद्धि के कारण आगामी वर्ष के लिए अर्जित होने वाला संभावित लाभ यानी 2019-20। इस संबंध में इस बात का औचित्य मांगा गया था कि रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा दिए गए प्रस्ताव के परिणामस्वरूप रुपये का कम लाभ कैसे होगा। 15 रुपये के लाभ के मुकाबले करोड़। 50 वर्तमान में हवाई अड्डा जो करोड़ रुपये कमा रहा है, वह न्यायसंगत है। पी. एम. आई. सी. ने आई. डी. 1 पर आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त चर्चा के अनुसार अन्य तीन मुद्दों के साथ इस मुद्दे पर भी विचार किया। उक्त बैठक में तीनों मुद्दों और हवाई अड्डे को पट्टे पर देने पर एम. आई. एल. की वित्तीय व्यवहार्यता के मुद्दे पर कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ। हमारे विचार में, जी. ए. एल. के पक्ष में हवाई अड्डे का कोई पट्टा नहीं होगा। वास्तव में, पट्टा ए. ए. आई. और एम. ए. डी. सी. द्वारा एम. आई. एल. के पक्ष में होगा जो उनके काम को पूरा करने के लिए तैयार किया गया पहला संयुक्त उद्यम है। इसलिए, यह पूरी तरह से तथ्य का गलत कथन है। यह स्पष्ट किया जाता है कि बोली की स्वीकृति के बाद, जी. ए. एल. और जी. एन. आई. ए. एल. मिहान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक लाइसेंसधारी होंगे।

36. एम. ओ. सी. ए. की दिनांकित 30.08.2019 और पी. एम. आई. सी. की 14.10.2019 की बैठक की चौथी आपत्ति पर विचार करने के लिए, न्यायालय अपनी सीमा को जानता है और है -

हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक क्योंकि वे वित्तीय व्यवहार्यता का विश्लेषण करने के लिए विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन न्यायालय एक ऐसे मामले में मुद्दे के औचित्य को देख सकता है जहां कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, एलओए जीएएल के पक्ष में जारी किया गया था। लंबे समय तक इंतजार करते हुए, जब रियायत समझौते को लागू नहीं किया गया था, जी. ए. एल. ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद बोली प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश पारित किया गया, जिसे उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में, हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या अधिकारियों द्वारा किया गया बचाव न्यायसंगत और उचित है या सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के बहाने मनमानेपन से ग्रस्त है।

37. दिनांकित 30.08.2019 पत्र के पैरा 5 (iv) में आपत्ति/स्पष्टीकरण पर पीएमआईसी द्वारा दिनांकित 14.10.2019 की अपनी बैठक में चर्चा की गई है।

जिसमें इसने लेन-देन सलाहकार अर्न्स्ट एंड यंग के विश्लेषण का अध्ययन किया। (संक्षेप में "ई एंड वाई") और देखा कि सबसे अधिक राजस्व हिस्सेदारी का प्रस्ताव मिहान इंडिया लिमिटेड का है।

वी. जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड। & ओआरएस।

चयनित बोलीदाता द्वारा किया गया लाभ आने वाले 30 वर्षों में शुल्क निर्धारण के लिए ए. ई. आर. ए. दर्शन का पालन करते हुए एम. आई. एल. द्वारा अर्जित लाभ के अनुरूप नहीं है। उक्त कारण से पी. एम. आई. सी. ने मिहान परियोजना के लिए फिर से बोली लगाने का निर्देश दिया। उक्त संदर्भ में, ई एंड वाई की रिपोर्ट के तथ्यात्मक पहलू को संदर्भित करने की आवश्यकता है। ई एंड वाई की रिपोर्ट में विकास के मामले में वित्तीय स्नैपशॉट के बारे में चर्चा की गई है

निजी रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा लिया गया, जिसके आधार पर यह स्पष्ट है कि यदि एम. आई. एल. रुपये का निवेश करता है तो नकदी प्रवाह का शुद्ध वर्तमान मूल्य। 1683 करोड़ रुपये होंगे। - 473 करोड़ और यदि 14.49% का राजस्व हिस्सा दिया जाता है, तो इसका मूल्य रु। +472 करोड़। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इसका निजीकरण किया जाता है तो एम. आई. एल. को कैपेक्स का कोई बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि यह निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाता है कि संचालन करने वाला एक निजी खिलाड़ी एम. आई. एल. को एक परिसंपत्ति प्रकाश संगठन बना देगा और यह भी कि यह निजी खिलाड़ी से राजस्व हिस्सेदारी अर्जित करेगा जो शुद्ध वर्तमान मूल्य में अधिक है और कार्यान्वयन, निजी क्षेत्र की परिचालन दक्षता को पूंजीकृत किया जा सकता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उक्त रिपोर्ट के अनुसार ए. ए. आई. द्वारा किए गए किसी भी निवेश के बिना, एम. आई. एल. को 500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। 15 प्रति वर्ष करोड़।

38. आर. एफ. पी. के अनुसार, यह स्पष्ट है कि एम. आई. एल. ने नागपुर हवाई अड्डे के उन्नयन, आधुनिकीकरण, संचालन और रखरखाव के लिए एक निविदा जारी की थी। जाहिरा तौर पर, प्राथमिक धारणा जो 30.08.2019 पर आयोजित बैठक में उठाई गई आपत्ति और 14.10.2019 की पीएमआईसी की बैठक से एकत्र की जा सकती है, वह संभावित राजस्व लाभ का संकेत देती है लेकिन यह यह नागपुर हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण में निवेश का संकेत नहीं देता है, जिसके लिए न केवल यात्रियों के लिए बल्कि मिहान के नाम पर माल परिवहन के लिए भी एक विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की योजना और डिजाइन की आवश्यकता है। आर. एफ. पी. और रियायत समझौते के अनुसार, डिजाइन, उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए सभी निवेश निजी खिलाड़ी द्वारा किया जाना चाहिए, न कि एम. आई. एल. द्वारा। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि ए. ए. आई. के नोट पर एम. ओ. सी. ए. और जी. ओ. एम. के आंतरिक पत्राचार द्वारा एल. ओ. ए. जारी करने के बाद,

ई एंड वाई की रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय व्यवहार्यता पर विचार किया गया है। यदि वित्तीय व्यवहार्यता के संबंध में कोई समस्या थी, तो यह जी. ओ. एम., ए. ए. आई. या एम. ओ. सी. ए. का कर्तव्य था कि वह जी. ए. एल. को बुलाए, जिसे अधिकार अर्जित हो गया है और उसे औचित्य के लिए एम. आई. एल. द्वारा प्रस्तावित और सहमत राजस्व हिस्से का भुगतान करना होगा। अन्यथा, जी. ए. एल. के पीछे उक्त आधार पर निर्णय लेना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ भी था।

39. इसके अलावा, आई. डी. 1 पर आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के पैराग्राफ 6 में, एम. ओ. सी. ए. के सचिव ने कहा कि ए. ए. आई. की भूमि को निजी पक्ष को पट्टे पर देने सहित परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी हैः

आवश्यकता है। अभिलेख के अवलोकन पर, यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं है कि भूमि के पट्टे को जी. ए. एल. के पक्ष में निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल लाइसेंस है जिसे रियायत समझौते द्वारा दिया जाना आवश्यक है। समझौते को लागू करने से पहले, जैसा उपाय किया गया है, वह उचित और न्यायसंगत नहीं है। खंड 3.1 की शर्तों के अनुसार। 1 . और 10.2। 2 रियायत समझौते के अनुसार, यह स्पष्ट है कि जी. ए. एल. लाइसेंसधारी होगा। तैयार संदर्भ के लिए, प्रासंगिक खंडों को इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 3.1. 1 इस समझौते, लक्ष्य अनुमोदन, लागू होने वाले कानूनों और लागू होने वाले अनुमतियों के प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार, प्राधिकरण इसके द्वारा रियायत प्राप्तकर्ता को 30 (तीस) वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए हवाई अड्डे ("रियायत") को विकसित करने, वित्तपोषित करने, संचालित करने और बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार, लाइसेंस और प्राधिकरण सहित इसमें निर्धारित रियायत प्रदान करता है।

सी. ओ. डी. से, और रियायतकर्ता इसके द्वारा स्वीकार करता है रियायत और यहाँ निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन और उसके अनुसार परियोजना को लागू करने के लिए सहमत हैं।

बशर्ते कि इस स्थिति में रियायतकर्ता ने सी. ओ. डी. से 27 (सत्ताईस) वर्ष की अवधि के लिए इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का बिना किसी भौतिक उल्लंघन के निर्वहन किया होगा, और प्राधिकरण को अपने हित के बारे में सूचित करेगा और इस रियायत की अवधि को 30 (तीस) वर्ष की और अवधि के लिए नवीनीकृत करने/बढ़ाने के अनुरोध के बारे में सूचित करेगा। इस तरह का अनुरोध करते समय, रियायतकर्ता इस बात की पुष्टि करेगा कि वह 30 (तीस) वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रीमियम के निर्धारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सहमत है। प्रपत्र और रीति, जो प्राधिकरण द्वारा विहित की जाए, ऐसे समय पर और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के ऐसे किसी भी मामले में: (क) रियायत प्राप्तकर्ता को उच्चतम बोली का मिलान करने का अधिकार होगा, यदि उसकी बोली उस समय जारी बोली दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार उस समय दी जाने वाली उच्चतम बोली के 05.00% के भीतर है, और (ख) रियायत प्राप्तकर्ता का सहयोगी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी किसी भी बोली प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नहीं होगा। बशर्ते कि रियायत पाने वाले द्वारा हवाई अड्डे का विस्तार नहीं किया गया हो।

इस समझौते या मिहान इंडिया लिमिटेड के प्रावधानों के अनुसार।

वी. जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड। & ओआरएस।

रियायतकर्ता इस समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन करता रहा है, तो प्राधिकरण इस खंड 3.1 के तहत रियायत अवधि को बढ़ाने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा। 1 . इसके प्रयोजनों के लिए किसी भी भौतिक उल्लंघन का अर्थ होगा निलंबन या

प्राधिकरण द्वारा प्रदर्शन प्रतिभूति के 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) के समतुल्य राशि से अधिक नुकसान का संचयी शुल्क। रियायत अवधि के विस्तार के लिए सूचना के साथ, रियायत प्राप्तकर्ता निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः

(ए) एक प्रमाण पत्र जो पुष्टि करता है कि इस समझौते के तहत रियायतकर्ता द्वारा कोई सामग्री चूक नहीं की गई है

(जिसमें किसी भी प्रमुख प्रदर्शन संकेतक से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन शामिल है), जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकरण के पक्ष में ऐसे किसी भी अधिकार की पहचान करने का अधिकार प्राप्त होता है।

रियायतकर्ता के डिफ़ॉल्ट के रूप में घटना;

(बी) एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल या इसी तरह की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा की किसी अन्य समकक्ष एजेंसी से पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र जो यह पुष्टि करता है कि हवाई अड्डा शीर्ष 20 में रहा है।

(विगत 5 (पाँच) वर्षों की निरंतर अवधि के लिए विश्व में अपनी श्रेणी के सभी हवाई अड्डों का बीस प्रतिशत

इस तरह के आवेदन की तारीख को; और

(ग) एक वचन कि रियायत प्राप्तकर्ता जारी रखेगा

समझौते के नियमों और शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करना और शेष रियायत अवधि के लिए प्रभावी होना।

बशर्ते कि रियायत पाने वाले द्वारा इसके प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे का विस्तार नहीं किया जाता है।

समझौता या रियायतकर्ता चूक में रहा है इस समझौते के प्रावधान, तो, प्राधिकरण इस खंड के तहत रियायत अवधि बढ़ाने के लिए किसी भी दायित्व के तहत नहीं होगा

3.1. 1 .

किसी भी स्थिति में, हर समय, रियायत अवधि के विस्तार से संबंधित कोई भी निर्णय केवल प्राधिकरण के पास निहित होगा। 10.2. 2 रियायत शुल्क और राजस्व हिस्सेदारी, इस समझौते और इसमें निहित रियायतकर्ता की ओर से समझौतों और वारंटी को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण, यहां निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, रियायतकर्ता को सी. ओ. डी., लाइसेंस [2022] 19 एस. सी. आर. से शुरू होगा।

सभी भूमि के संबंध में अधिकार (किसी भी भवन के साथ,

निर्माण या अचल संपत्ति, यदि कोई हो) जिसमें शामिल हैं -

वह साइट जिसे यहाँ अनुसूची ए में किसी भी बाधा से मुक्त, साइट के रूप में वर्णित, चित्रित और दिखाया गया है, साइट को सभी और एकल अधिकारों, स्वतंत्रताओं, विशेषाधिकारों, सहजता और उपयुक्तताओं के साथ विकसित करने, संचालित करने और बनाए रखने के लिए। इस समझौते के तहत अनुमत उद्देश्यों के लिए, और किसी अन्य उद्देश्य के लिए, साइट, वंशानुगत या परिसर या उसका कोई भी हिस्सा या किसी भी तरह से उससे संबंधित या उसके साथ आनंद लिया जाता है।

जो भी हो, रियायत अवधि के लिए "।

40. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि जी. ए. एल. या जी. एन. आई. ए. एल. के पक्ष में कोई पट्टा नहीं दिया जाएगा। यह केवल इस संबंध में एक लाइसेंस अधिकार है।

रियायत की अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी भवन, निर्माण या अचल और अन्य चल वस्तुओं के साथ भूमि जी. ए. एल. या जी. एन. आई. ए. एल. को प्रदान की जानी आवश्यक है। उक्त भाग में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (संक्षेप में "एएआई अधिनियम") की धारा 12 ए पर भरोसा करते हुए तर्क दिया गया है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। 12 ए पर इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 12 ए-प्राधिकरण द्वारा पट्टा (1) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, प्राधिकरण, सार्वजनिक हित में या हवाई अड्डों के बेहतर प्रबंधन के हित में, अपने कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए हवाई अड्डे के परिसर (भवनों और संरचनाओं सहित और उससे संबंधित) का पट्टा बना सकता है।

धारा 12 जो प्राधिकरण उचित समझेः

बशर्ते कि ऐसा पट्टा धारा 12 के तहत प्राधिकरण के कार्यों को प्रभावित नहीं करेगा जो हवाई यातायात सेवा से संबंधित है।

या हवाई अड्डों और नागरिक परिक्षेत्रों पर नजर रखें और निगरानी करें।

(2) उप-धारा (1) के तहत कोई पट्टा इसके बिना नहीं दिया जाएगा -

केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति। (3) उप-धारा (1) के तहत किए गए पट्टे के संदर्भ में पट्टेदार द्वारा देय कोई भी राशि प्राधिकरण की निधि का हिस्सा होगी और उसमें इस तरह जमा की जाएगी जैसे कि वह राशि प्राधिकरण की रसीद हो।

धारा 24 के सभी प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण।

(4) पट्टेदार, जिसे उप-धारा (1) के तहत प्राधिकरण का कोई कार्य सौंपा गया है, के पास पट्टे के संदर्भ में ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए प्राधिकरण की सभी आवश्यक शक्तियां होंगी। मिहान इंडिया लिमिटेड।

वी. जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड। & ओआरएस।

41. इस पर विचार करने पर, यह स्पष्ट है कि धारा 12 ए प्राधिकरण द्वारा पट्टे के मामले में लागू होती है और उप-धारा (1) के तहत ऐसा कोई पट्टा केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं दिया जाएगा। वर्तमान मामले में जी. ए. एल. के पक्ष में किसी पट्टे को निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं है।

या जीएनआईएएल। ए. ए. आई. और जी. ओ. एल. द्वारा बोली प्रक्रिया को रद्द करने के मामले में ए. ए. आई. अधिनियम की धारा 12 ए के आधार पर लिया गया बहाना मुख्य रूप से गलत प्रतीत होता है। 42. अब, यहाँ उपलब्ध और ऊपर चर्चा की गई सामग्री के अनुसार, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी उस प्रक्रिया से अवगत थे जो है -

अपनाया जा रहा है। बोली प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, जी. ए. एल. को उच्चतम राजस्व हिस्से की पेशकश करने के लिए एक चयनित बोलीदाता के रूप में घोषित किया गया था और एल. ओ. ए. जारी होने पर, इसे रियायत प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया है और रियायत समझौते के निष्पादन के चरण में, ये सभी औपचारिकताएं प्रासंगिक नहीं हैं और यह अधिकारियों द्वारा शक्ति का मनमाना प्रयोग करने के बराबर है जो कानून के तहत अनुमत नहीं है। उक्त दृष्टिकोण को भारत संघ और अन्य बनाम दिनेश इंजीनियरिंग कार्पोरेशन में इस न्यायालय के फैसले में लिए गए दृष्टिकोण के साथ मजबूत किया गया है। और एक अन्य (2001) 8 एस. सी. सी. 491, जिसमें रेलवे द्वारा जी. ई. गवर्नरों में उपयोग के लिए स्पेयर पार्ट्स की कुछ वस्तुओं की खरीद के लिए जारी निविदा में प्रत्यर्थी की बोली की अस्वीकृति पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा है कि बोलियों को अस्वीकार करने की शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से केवल इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि रेलवे के पास है

ऐसा करने की शक्ति। बोलियों को अस्वीकार करने की शक्ति का कोई भी मनमाना प्रयोग किया गया है

अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया। उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 15 और 16 प्रासंगिक हैं और इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

" 15. इन अपीलों में शामिल दूसरे प्रश्न, अर्थात् रिट याचिकाकर्ता की निविदा की अस्वीकृति पर आते हुए, अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि दिशानिर्देशों के खंड 16 के तहत रेलवे बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा प्रस्ताव को अस्वीकार करने का हकदार है और उसके पास सबसे कम प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने की शक्ति भी है। हम इस शक्ति पर विवाद नहीं करते हैं बशर्ते कि इसका प्रयोग उस उद्देश्य के दायरे में किया जाए जिसके लिए यह खंड शामिल किया गया है। यह एक मनमानी शक्ति नहीं देता है रेलवे को किसी पक्ष द्वारा दी गई बोली को केवल इसलिए अस्वीकार करना चाहिए क्योंकि उसके पास वह शक्ति है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग कुछ शर्तों के अस्तित्व पर किया जा सकता है जो रेलवे की राय में प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए रेलवे के हित में नहीं हैं। जब रिट याचिकाकर्ता की निविदा खारिज कर दी गई थी तो ऐसा कोई आधार नहीं लिया गया था। इसलिए, हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि यह [2022] 19 एस. सी. आर. है।

रेलवे के लिए दिशानिर्देशों में इस खंड पर भरोसा करने के लिए खुला नहीं है किसी निविदा का जवाब देते समय रिट याचिकाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी या प्रत्येक प्रस्ताव को अस्वीकार करना जिसे आपूर्ति के लिए बुलाया जा सकता है

रेलवे द्वारा स्पेयर पार्ट्स। श्री अय्यर, विद्वान वरिष्ठ वकील

ई. डी. सी. की ओर से पेश होते हुए, स्टर्लिंग कंप्यूटर लिमिटेड आदि में इस न्यायालय के एक फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। वी. एम/एस। एम एंड एन प्रकाशन लिमिटेड (1993 1 एस. सी. सी. 445) ने कहा हैः (एस. सी. सी पी. 455, पैरा 12)

" कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिकारियों को एक विवेकाधिकार देना पड़ता है, जिन्हें अनुबंध में प्रवेश करना होता है, जिससे उन्हें यह निर्णय लेने के उद्देश्य से समग्र स्थिति का आकलन करने की स्वतंत्रता मिलती है कि अनुबंध किसे और किन शर्तों पर दिया जाए। यदि निर्णय ईमानदारी से लिए गए हैं, हालांकि अदालतों द्वारा निर्धारित मानदंडों का सख्ती से पालन नहीं किया गया है, तो ऐसे निर्णय न्यायमूर्ति होम्स द्वारा निर्धारित सिद्धांत पर बरकरार रखे जाते हैं, कि अदालतों को कार्यकारी निर्णयों की संवैधानिक वैधता का न्याय करते समय कार्यपालिका को कुछ हद तक "जोड़ों में खेलने" की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए।

16. लेकिन फिर जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उसी निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक सार्वजनिक प्राधिकरण को संविदात्मक मामलों में भी

निरंकुश विवेकाधिकार नहीं है और वाणिज्यिक तत्व वाले अनुबंधों में भले ही ऐसे प्राधिकरणों में कुछ अतिरिक्त विवेकाधिकार स्वीकार किया जाना है, वे सार्वजनिक संपत्ति से निपटने के दौरान अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त मानदंडों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। यह आवश्यकता सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा लिए जा रहे अनुचित और मनमाने निर्णयों से बचने के लिए आवश्यक है जिनके कार्य न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए, केवल इसलिए कि प्राधिकरण के पास अनुबंधों में प्रस्ताव स्वीकार करने में विवेक के उपयोग के लिए कुछ जगह उपलब्ध है,

इसे कानून की आवश्यकताओं, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 के चार कोनों के भीतर करना होगा। में। तत्काल मामले में, हमने देखा है कि रिट याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को मनमाने ढंग से अस्वीकार करने के अलावा, रिट याचिकाकर्ता को अब वर्ष 1992 से रेलवे द्वारा राज्यपालों में उपयोग किए जाने वाले स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति में ई. डी. सी. के साथ प्रतिस्पर्धा करने से लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया है, और इस दौरान हमें बताया गया है कि रेलवे केवल ई. डी. सी. से स्वामित्व के आधार पर बिना किसी निविदा के खरीद कर रहा है, जो हमारी राय में, अनुच्छेद 14 के संवैधानिक जनादेश का घोर उल्लंघन है। हम भी हैं

राय है कि एकाधिकार बनाने वाले बोर्ड की तथाकथित नीति मिहान इंडिया लिमिटेड।

वी. जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड। & ओआरएस।

ई. डी. सी. मन के गैर-अनुप्रयोग के दुष्प्रभाव से पीड़ित है, इसलिए, इसे रद्द करना होगा जैसा कि उच्च न्यायालय ने किया है।

43. तत्काल मामले के तथ्यों के आलोक में उपरोक्त मामले-कानून के केवल अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि केवल बोलियों को अस्वीकार करने की शक्ति होने से अधिकारियों को उक्त शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। खंड 2.16 की प्रयोज्यता पर चर्चा करते हुए। 1 , 3.3. 1 और 3. 5 , यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृति से पहले बोली प्रक्रिया में बोली प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है अन्यथा एल. ओ. ए. जारी होने के बाद रद्द नहीं किया जा सकता है। अधिकारियों ने मनमाने ढंग से आगे काम किया

पी. एम. आई. सी. की बैठक दिनांक 14.10.2019 के संदर्भ में जी. ओ. एम. का दिनांक 16.03.2020 का पत्र जिसमें पुनः निविदा का निर्देश दिया गया था। पहले से स्वीकृत बोली को नजरअंदाज किए बिना पुनः निविदा संभव नहीं थी। अतः खंड 2.16 को लागू करते हुए रद्द करने के आदेश का निर्देश दिया गया है। 1 मनमाने ढंग से।

44. जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, के दायरे को समझाते हुए

आर. एफ. पी. के अध्याय 1,2 और 3 में यह स्पष्ट है कि अध्याय 2 बोली लगाने के उन निर्देशों से संबंधित है जो सामान्य प्रकृति के हैं। खंड 2.16 बोली की अस्वीकृति से संबंधित है जो बोली की स्वीकृति से पहले की स्थिति है। अध्याय 2 के बाद, अध्याय 3 में बोली का मूल्यांकन शुरू होता है। खंड 3 में उन बोलियों का मूल्यांकन करते समय। 1 , यदि खंड 2.16 का प्रावधान। 1 बोली का आह्वान नहीं किया गया है और वह बोलीदाता जिसकी बोली को खंड 3 के संदर्भ में उत्तरदायी घोषित किया गया है। 1 और जिसने सबसे अधिक राजस्व हिस्सेदारी की पेशकश की, वह एक चयनित बोलीदाता होगा। वर्तमान मामले में बोलीदाता का चयन पूरा हो गया था। इसके बाद खंड 3 के अनुसार एल. ओ. ए. जारी किया गया। 5 और रियायत समझौते का मसौदा जारी करके, इसे रियायत प्राप्तकर्ता घोषित किया गया है। उस स्तर पर, खंड 2.16। 1 बोली प्रक्रिया को रद्द करने के लिए लागू नहीं होगा। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा आयोजित दिनांक 1 की बैठक में उठाई गई आपत्तियों के अनुसार, पैराग्राफ 5 में खंड (iv) ने एम. आई. एल. और जी. ओ. एम. को पुनः निविदा का आदेश पारित करने के लिए राजी किया।

45. इस संबंध में, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, शहर और औद्योगिक के मामले में इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय।

महाराष्ट्र विकास निगम लिमिटेड और एक अन्य बनाम शिशिर रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। [सिविल अपील सं. 2017 का <आई. डी. 1] प्रासंगिक है, पैरा 67 से 70 को इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 67. इससे पहले कि हम निष्कर्ष निकालें, यह न्यायालय संबंधित कानून के कुछ सुस्थापित सिद्धांतों को दोहराना चाहेगा - सरकारी अनुबंध। जब हम सरकारी अनुबंधों की बात करते हैं, [2022] 19 एस. सी. आर.

संवैधानिक कारक भी भूमिका में हैं। सरकारी निकायों से सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते अनुबंध संबंधी मामलों से निपटने के दौरान भी निष्पक्षता, समानता और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार मनमानेपन को नकारता है। सार्वजनिक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई पक्षपात न हो,

बोली प्रक्रिया के दौरान पक्षपात या मनमानेपन दिखाया जाता है। इस न्यायालय द्वारा एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया का बहुत समर्थन किया जाता है

यह सुनिश्चित करें कि संवैधानिक आवश्यकताएँ पूरी हों।

उनके संविदात्मक दायित्वों का निष्पादन। 69. अनुच्छेद 14 के तहत प्रदान की गई मनमानेपन के खिलाफ संवैधानिक गारंटी, राज्य से निष्पक्ष और उचित तरीके से कार्य करने की मांग करती है जब तक कि जनहित अन्यथा की मांग न करे। हालांकि,

किसी भी निजी वैध हित के समझौते की डिग्री होनी चाहिए

इस प्रकार दावा किए गए लोक हित के अनुपात में। 70. इस मोड़ पर, यह याद रखना उचित है कि, केवल सार्वजनिक हित या खजाने को नुकसान के आधारों का उपयोग करके, उत्तराधिकारी सार्वजनिक प्राधिकरण पिछले प्राधिकरण द्वारा किए गए काम को पूर्ववत नहीं कर सकता है। इस तरह के दावे को भौतिक तथ्यों, साक्ष्य और आंकड़ों का उपयोग करके साबित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो सरकार के शब्दों और वचनों में कोई पवित्रता नहीं रहेगी। व्यापारी सरकारी अनुबंध में प्रवेश करने में संकोच करेंगे या

उसी को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी निवेश करें। इस तरह की प्रथा अर्थव्यवस्था और व्यावसायिक वातावरण के लिए प्रतिकूल है।

सामान्य तौर पर।

46. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि सरकारी अनुबंधों में,

सरकारी निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे संविदात्मक मामलों से निपटने के दौरान निष्पक्षता, विधि और कानून के शासन को बनाए रखेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत इसका अधिकार मनमानेपन को नकारता है। न्यायालय द्वारा फिरौती बोली प्रक्रिया का समर्थन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके किशिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। कहा जाता है कि संवैधानिक

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रावधान

राज्य को निष्पक्ष और उचित तरीके से कार्य करने का अधिकार है जब तक कि जनता अन्यथा न करे। यह समीचीन है कि समझौते की डिग्रीनिजी वैध ब्याज को मिहान इंडिया लिमिटेड के अनुपात में होना चाहिए।

वी. जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड। & ओआरएस।

जनहित। यह निर्दिष्ट किया गया है कि सार्वजनिक हित या खजाने को नुकसान के आधार का उपयोग करके प्राधिकरण द्वारा पहले से किए गए काम को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है।

47. जारी करने के बाद दिनेश इंजीनियरिंग (सुप्रा) और शिशिर रियल्टी (सुप्रा) के फैसलों के आलोक में इस मामले के तथ्यों का विश्लेषण करना। खंड 3 के संदर्भ में एल. ओ. ए. 5 आर. एफ. पी. और जी. ए. एल. को खंड 3.3 के अनुसार रियायत प्राप्तकर्ता घोषित करना। 6 , 14.10.2019 पर पीएमआईसी की बैठक के आधार पर बोली प्रक्रिया को रद्द करने का पत्र जारी करना, जो

बोली के पुनः निविदा के लिए निर्देशित, पूरी तरह से शक्ति का एक मनमाना प्रयोग है, जो आर. एफ. पी. के प्रावधानों के विपरीत है और आर. एफ. पी. के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

भारत का संविधान।

48. ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में दर्ज किए गए निष्कर्ष उपरोक्त तर्कों के अनुरूप हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय ध्वनि पर आधारित है

तर्क और तथ्यों का सही विश्लेषण, जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देते हैं।

49. वर्तमान मामले के तथ्यों और ऊपर दर्ज किए गए निष्कर्षों में, यह स्पष्ट है कि अधिकारियों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से काम किया है। ऐसी स्थिति में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए, सार्वजनिक कानून उपचार का उचित लाभ उठाया गया है। पैराग्राफ 95 में याचिका पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष न्यायसंगत और उचित हैं और हम उन निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत हैं। तथ्यों में वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं द्वारा जी. ए. एल. को विशिष्ट राहत अधिनियम के प्रावधानों के तहत विशिष्ट प्रदर्शन का उपाय करने के लिए मजबूर करने के लिए दिए गए तर्क को एतद्वारा खारिज कर दिया जाता है।

50. यू. ओ. आई. और ए. ए. आई. की ओर से विद्वान वकील ने

जोरदार तर्क दिया कि कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में उनके साथ शामिल हुए बिना, रिट याचिका मनोरंजक नहीं थी और निर्देश के अनुसार राहत की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

51. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, दूसरे संयुक्त उद्यम का चयन इसके माध्यम से किया जाना आवश्यक है।

प्रतिस्पर्धी बोली। वर्तमान मामले में, वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की गईं और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का पालन किया गया। जारी करने की प्रक्रिया

आर. एफ. पी. में निर्धारित एल. ओ. ए. पूरी तरह से एक उचित प्रक्रिया है। एम. ओ. सी. ए., ए. ए. आई. और एम. ए. डी. सी. द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, एम. आई. एल. [2022] 19 एस. सी. आर. का प्राधिकरण है।

बोली प्रक्रिया को पूरा करें और मंत्री समूह की ओर से कार्य करते हुए पीएमआईसी पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा था। रद्द करने का निर्देश दिया गया है

बोली की पुनः निविदा के लिए दिनांकित 16.3.2020 पत्र का संदर्भ। इसलिए, रद्द पत्र जारी करने में, यू. ओ. आई. और ए. ए. आई. की कोई भूमिका नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा खंड (ख) में प्रार्थना के अनुसार राहत देने के संबंध में गंभीर आपत्ति जताई गई है। इस संबंध में, यदि हम उक्त राहत और निर्देश की जांच करते हैं, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित मंत्रिमंडल के निर्णय के संदर्भ में जारी किया गया है, तो हम संतुष्ट हैं कि प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा दूसरे संयुक्त उद्यम का चयन करने का निर्देश जारी करने के बाद विश्वविद्यालय और एएआई प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हैं। इसके अलावा, जैसा कि चर्चा की गई है, मंत्रिमंडल की दिनांकित 11.02.2009 की पहली मंजूरी, दिनांकित 02.08.2019,20.08.2019 और 30.08.2019 के पत्रों को पेश करने के अलावा, यह दिखाने के लिए हमारे सामने कुछ भी नया नहीं लाया गया है कि रिट कोर्ट द्वारा गैर-जॉइंडर के कारण उनके प्रति क्या गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। इसकी अनुपस्थिति में, हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थियों द्वारा गैर-याचिकाकर्ता के संबंध में उठाई गई आपत्ति किसी भी योग्यता से रहित है और उच्च न्यायालय ने इसे सही ढंग से खारिज कर दिया है।

52. ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि रिट याचिका की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कानून के अनुसार हैं। वे निष्कर्ष किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं हैं, जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गारंटी देते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति। इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। दल अपना खर्च स्वयं वहन करें।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन

(सहायकः बोधि रामटेके, एलसीआरए)